


Fifth Series, Vol. X No. 26

Friday, December 17, 1971  
Agrahayana 26, 1893 (Saka)

# LOK SABHA DEBATES

(Third Session)



(Vol. X contains Nos. 21 to 30)

LOK SABHA SECRETARIAT  
NEW DELHI

Price : Rs. 4 00

# CONTENTS

[Fifth Series, Vol. X, 3rd Session, 1971]

No. 26 - Friday, December 17, 1971/Agrahayana 26, 1893 (Saka)

	COLUMNS
Re. Statement by Prime Minister .. .. .	1-2
Papers Laid on the Table .. .. .	2-7
Committee on Private Members' Bills and Resolutions - Minutes .. .. .	
Messages from Rajya Sabha .. .. .	7-8
Essential Commodities (Amendment) Bill (As passed by Rajya Sabha) Laid on the Table .. .. .	8
Assent to Bills .. .. .	8-9
Committee on Public Undertakings -	
Sixth, Tenth and Eleventh Reports .. .. .	9
Committee on Government Assurances -	
Second Report .. .. .	9-10
Business of the House .. .. .	10-12
Statement re : Reference of Constitution (Twenty-fifth Amend- ment) Bill, as passed by Parliament, to State Legislatures for Ratification	
Shri H. R. Gokhale .. .. .	13
Code of Criminal Procedure Bill -	
Concurrence in Rajya Sabha recommendation to appoint a Member to Joint Committee	13-14
Union Territories Taxation Laws (Amendment) Bill --Introduced	14-15
Statutory Resolution re : Delhi Road Transport Laws (Amend- ment) Ordinance (Negative) and Delhi Road Transport Laws (Amendment) Bill .. .. .	15-47
Dr. Laxminarain Pandeya .. .. .	15-18, 43-44
Shri Raj Bahadur .. .. .	18-24, 44-46
Shri Mohammad Ismail .. .. .	24-27
Shri Amar Nath Chawla .. .. .	27-29

(i)

Shri S. M. Banerjee .. .. .	29-32
Shri H. K. L. Bhagat .. .. .	32-38
Shri E. R. Krishnan .. .. .	38-41
Shri Dalip Singh .. .. .	41-43
Clauses 2 to 8 and 1	
Motion to pass .. .	47
Shri Raj Bahadur .. .. .	47
Bills Introduced—	
1. Union Territories Secondary Education Bill by Shri Samar Guha .. .. .	47-48
2. Constitution (Amendment) Bill— (Amendment of article 74 and insertion of new articles 74A, 74B, etc.) by Shri Fatesinghrao Gadekwar .. .. .	48
Re : Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, (Insertion of new sections 250A, 250B, etc.) .. .. .	48-49
Freedom Fighters (Appreciation of Services) Bill	
Motion to consider .. .. .	49 69 74-75, 75-80
Shri Jharkhande Rai .. .. .	51-56
Dr. Govind Das .. .. .	58-60
Shri Chintamani Panigrahi .. .. .	60-63
Shri Samar Guha .. .. .	63-67
Shri B. S. Murthy .. .. .	67-69
Shri Paripoornanand Painuli .. .. .	69, 74-75, 75-76
Shri R. S. Pandey .. .. .	76-79
Shri F. H. Mohsin .. .. .	80
Statement re. India's Decision to cease operations from 20.00 hrs. on the 17th December, 1971 on all fronts in the Western Sector:	69-73
Shrimati Indira Gandhi .. .. .	69-71
Announcement re. Meeting of Members of Parliament in the Central Hall to felicitate the Prime Minister .. .. .	73-74
Announcement re. Sitting of the House on Saturday, December 18, 1971. .. .. .	75

# LOK SABHA DEBATES

1

LOK SABHA

Friday, December<sup>1</sup> 17, 1971/Agrahayana  
26, 1893 (Saka)

*The Lok Sabha met at Ten of the Clock*

[MR. SPEAKER in the Chair]

RE : STATEMENT BY PRIME  
MINISTER

MR. SPEAKER : The Prime Minister will make a statement at 12.30.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (खालियर) : अध्यक्ष महोदय, यह साढ़े बारह बजे की बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। यह तो सदन के बैठने ही वक्तव्य होना चाहिए। सरकार ने युद्ध विराम एकतरफा मान लिया है। कल सदन को इस के बारे में सूचना नहीं दी गई। तो आज पहला काम यह होना चाहिए कि सदन को इस के बारे में विश्वास में लिया जाये . . .

अध्यक्ष महोदय : सूचना का क्या मतलब है ? हर वक्त पार्लियामेंट बैठी रहे यह तो हो नहीं सकता . . .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं यह कह रहा हूँ कि आज जब सदन बैठा है तो इस बजे पहला काम यह होना चाहिये। इस में मुश्किल क्या है ? अगर सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही यह वक्तव्य आ जाता तो क्या कठिनाई थी। . . .

अध्यक्ष महोदय : आप कैसी बातें करते हैं . . . (व्यवधान) . . .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आप समझते हैं कि सीज फायर का आफर ऐसी िज है जो सदन को किसी समय भी सूचित की जा सकती है ? . . . (व्यवधान) . . . मैं इस से सहमत नहीं हूँ। मैं यह समझता हूँ कि सदन की मर्यादा का यह सवाल है कि प्रधान मंत्री युद्ध विराम के बारे में सदन को विश्वास में लें। . . .

2

MR. SPEAKER : I do not agree with this.

10.01 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

CORRECTION TO REPLY, CENTRAL  
EXCISE (SEVENTEENTH AMENDMENT) RULES,  
NOTIFICATIONS, ETC.

THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R.  
GANESH) : I beg to lay on the Table—

(1) A statement correcting the reply given on the 4th June, 1971 to Unstarred Question No. 1352 by Sarvashri Jagannathrao Joshi and Hukam Chand Kachwai regarding Indian Coins seized from a firm in Kasganj (U.P.) together with a statement giving reasons for delay in correcting the reply.

(i) Statement

Part (a) of Unstarred Question No. 1352 tabled in the Lok Sabha on 4-6-1971 by the Hon'ble Sarvashri Jagannathrao Joshi and Hukam Chand Kachwai sought information on whether Indian coins weighing about 10 maunds and equipment which is used for melting them, were seized in a raid carried out on a firm in Kasganj, in Uttar Pradesh in the fortnight of May, 1971. The answer given to this part of the question was that "The U.P. Police made a raid on 2-5-1971 at the firm of one Lakhpat Rai of Kasganj and se ze bout 1000 Kg. of 2P and 5P coins along with certain melting equipments." The U.P. Government have since advised that the figure of 1000 Kg. reported earlier may be corrected as 152 Kg. The mistake had occurred on account of some fault in the transmission of the



[Shri K. R. Ganesh]

message from the District to the State Government. I would, therefore, like to correct the reply already given by me to part (a) of the above mentioned question. The correct reply to part (a) of the question is :

- (a) The U.P. Police made a raid on 2-5-1971 at the firm of one Lakshpat Rai of Kasganj and seized about 152 Kg. of 2P and 5P coins including melted coins along with certain melting equipments.

(ii) *Statement*

The correct information was received from the U.P. Government on 2-8-1971, but it could not be processed before 12-8-1971 when the Lok Sabha adjourned. The delay is regretted.

- (2) A copy of the Central Excise (Seventeenth Amendment) Rules, 1971 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 1780 in Gazette of India dated the 27th November, 1971 under section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944.

[Placed in Library. See No. LT-1301/71]

- (3) A copy each of the following Notifications under section 296 of the Income-tax act, 1961 :—

- (i) S.O. 5249 published in Gazette of India dated the 29th November, 1971 containing corrigenda to Notification No. S.O. 1997 dated the 14th May, 1971.

- (ii) S.O. 5250 published in Gazette of India dated the 29th November, 1971 containing corrigenda to the Hindi version of Notification No. S.O. 1997 dated the 14th May, 1971.

[Placed in Library. See No. LT-1302/71]

- (4) A copy each of the following Notifications under sub-section (4) of

section 46 of the Wealth-Tax Act, 1957 :—

- (i) S.O. 5185 published in Gazette of India dated the 22nd November, 1971 containing corrigenda to Notification No. S.O. 999 dated the 1st March, 1971.

- (ii) S.O. 5185A published in Gazette of India dated the 22nd November, 1971 containing corrigenda to the Hindi version of the Notification No. S.O. 999 dated the 1st March, 1971.

[Placed in Library. See No. LT-1303/71]

- (5) (i) A copy of Notification No. F. 4 (40)/71-Fin. (G) (Hindi and English versions) published in Delhi Gazette dated the 10th November, 1971 containing corrigendum to Notification No. F. 4 (40)/71-Fin. (G) dated the 26th July, 1971, under sub-section (4) of section 26 of the Bengal Finance (Sales Tax) Act, 1941 as in force in the Union territory of Delhi

- (ii) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above Notification.

[Placed in Library. See No. LT-1304/71]

- (6) A copy of Notification No. G.S.R. 1788A (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 1st December, 1971, under section 159 of the Customs Act, 1962, together with an explanatory Memorandum.

[Placed in Library. See No. LT-1305/71]

- (7) A copy of the Mysore Excise (Lease of the Right of Retail Vend of Liquors) (Amendment) Rules, 1971 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 310 in Mysore Gazette dated the

7th October, 1971, under sub-section (4) of section 71 of the Mysore Excise Act, 1965, read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 27th March, 1971, issued by the President in relation to the State of Mysore.

[Placed in Library. See No. LT-1306/71]

- (8) A copy of Mysore Notification No. S.O. 1562 (Hindi and English versions) published in Mysore Gazette dated the 9th September, 1971, under sub-section (ii) of section 30 of the Mysore Lotteries and Prize Competitions Control and Tax Act, 1951, read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 27th March, 1971 issued by the President in relation to the State of Mysore.

[Placed in Library. See No. LT-1307/71]

NOTIFICATIONS UNDER AIRCRAFT ACT  
AND ANNUAL REPORTS AND ACCOUNTS OF  
AIR INDIA AND INDIAN AIRLINES

THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL  
AVIATION (DR. SAROJINI MAHISHI):  
I beg to lay on the Table—

- (1) (a) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 14A of the Aircraft Act, 1934 :—

(i) The Aircraft (Amendment) Rules, 1971, published in Notification No. G.S.R. 172 in Gazette of India dated the 6th February, 1971, together with an explanatory Note.

(ii) The Aircraft (Fourth Amendment) Rules, 1971, published in Notification No. G.S.R. 411 in Gazette of India dated the 27th March, 1971, together with an explanatory Note.

(iii) The Aircraft (Third Amendment) Rules, 1971, published in

Notification No. G.S.R. 412 in Gazette of India dated the 27th March, 1971, together with an explanatory Note.

(iv) The Aircraft (Fifth Amendment) Rules, 1971, published in Notification No. G.S.R. 714 in Gazette of India dated the 15th May, 1971, together with an explanatory Note.

- (b) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above Notification.

[Placed in Library. See No. LT-1308/71]

- (2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 37 of the Air Corporation Act, 1953.

(i) Annual Report of the Air India for the year 1970-71 :—

(ii) Annual Report of the Indian Airlines for the year 1970-71.

- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (4) of section 15 of the Air Corporations Act, 1953 :—

(i) Certified Accounts of the Air India for the year 1970-71 together with the Audit Report thereon.

(ii) Certified Accounts of the Indian Airlines for the year 1970-71 together with the Audit Report thereon.

[Placed in Library. See No. LT-1309/71]

REVIEW AND ANNUAL REPORT OF WATER AND  
POWER DEVELOPMENT CONSULTANCY SERVICES (INDIA) LTD.

THE MINISTER OF IRRIGATION  
AND POWER (DR. K. L. RAO): I  
beg to lay on the Table a copy each of the  
following papers (Hindi and English versions)  
under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :—

- (1) Review by the Government on the working of the Water and Power

[Dr. K. L. Rao]

Development Consultancy Services (India) Limited, New Delhi, for the year 1970-71.

- (2) Annual Report of the Water and Power Development Consultancy Services (India) Limited New Delhi for the year 1970-71 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library. See No. LT-1310/71]

# COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

## MINUTES

SHRI G. G. SWELL (Autonomous Districts) : I beg to lay on the Table Minutes of the sittings (6th to 8th) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions held during the current session.

10.02 hrs

## MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY Sir, I have to report the following messages received from the Secretary of Rajya Sabha :—

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 15th December, 1971, agreed without any amendment to the Coking Coal Mines (Emergency Provisions) Bill, 1971, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 13th December, 1971."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 16th December, 1971, agreed without any amendment to the Naval and Air Force Prize Bill, 1971, which

was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 15th December, 1971."

(iii) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Essential Commodities (Amendment) Bill, 1971, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 16th December, 1971."

(iv) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No. 4) Bill, 1971, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 14th December, 1971, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(v) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Punjab Appropriation (No. 2) Bill 1971, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 14th December, 1971, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

## ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL

SECRETARY : Sir, I lay on the Table of the House the Essential Commodities (Amendment) Bill, 1971, as passed by Rajya Sabha on the 16th December, 1971.

10.03 hrs.

## ASSENT TO BILLS

SECRETARY : Sir, I lay on the Table following seven Bills passed by the houses

*Assurances Report*

of Parliament during the current session and assented to since a report was last made to the House on the 16th November, 1971 —

(1) The Stamp and Excise Duties (Amendment) Bill, 1971 ,

(2) The Industrial Disputes (Amendment) Bill, 1971 ,

(3) The Railway Passenger Fares Bill 1971 ,

(4) The Tax on Postal Articles Bill 1971

(5) The Inland Air Travel Tax Bill 1971 ,

(6) The Air Corporations (Amendment), Bill, 1971 ,

(7) The Arms (Amendment) Bill 1971.

#### COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

##### SIXTH TENTH AND ELEVENTH REPORTS

DR KALIA S (Bombay South) I beg to present the following Reports of the Committee on Public Undertakings —

(1) Sixth Report regarding action taken by Government on the recommendations contained in their Seventieth Report (Fourth Lok Sabha) on India Tourism Development Corporation.

(2) Tenth Report regarding action taken by Government on the recommendations contained in their Sixty-ninth Report (Fourth Lok Sabha) on Air India

(3) Eleventh Report regarding action taken by Government on the recommendations contained in their Forty-ninth Report (Fourth Lok Sabha) on Industrial Finance Corporation of India.

#### COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

##### SECOND REPORT

SHRI V. SHANKER GIRI (Damoh) :

I beg to present the Second Report of the Committee on Government Assurances.

10 04 hrs

#### BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR)

Sir I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing from 20th December, 1971, will consist of

(1) Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

(2) Consideration and passing of The Union Territories Taxation Laws (Amendment) Bill 1971

The Essential Commodities (Amendment) Bill, 1971, as passed by Rajya Sabha

The Uttar Pradesh Cantonments (Control of Rent and Eviction) (Repeal) Bill, 1971, as passed by Rajya Sabha.

(3) Consideration of an amendment made by Rajya Sabha in the Prevention of Insults to National Honours Bill, 1971

(4) Consideration and passing of The Contempt of Court Bill, 1971, as passed by Rajya Sabha

The Prevention of Food Adulteration (Extension to Kohima and Mokokchung Districts of Nagaland, Bill, 1971.

The Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Bill, 1971

The Diplomatic Relations (Vienna Convention) Bill, 1971.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : We are now meeting for three hours every day. That means nine hours for three days. By no stretch of imagination will we be able to finish all this business unless we sit for six to seven hours a day. Now that Dacca has fallen and the Bangla Desh Government has been established, and we have also known the attitude of the American imperialists, is there any objection to have a discussion for three or four hours on the international situation with particular reference to the conduct of the American imperialists ? I hope you will kindly allow a discussion. You should allow a discussion. We have not got any opportunity to condemn those people who really wanted to butcher the people of Bangla Desh.

MR. SPEAKER : They stand self-condemned.

श्री राजाबतार शास्त्री (पटना) : अपने दौरे पर और दुश्मन के बारे में कुछ चर्चा तो होनी ही चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : जो कार्यवाही समदीय कार्य सभी में बनायी है यह तो तीन दिन में समाप्त होने वाली नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं हुआ तो मार्च क्रिस्म में बैठेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, आपने निर्णय कर लिया हो तो बना दीजिए।

MR. SPEAKER : I think next week we will have to sit according to our normal timings. Everything might be over by that time.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : फिर आप मदन की सीका दीजिए, इस मार्ग पर स्थिति पर चर्चा करने के लिए और विशेषकर आज प्रधान मंत्री जो वक्तव्य देने जा रही हैं उस के ऊपर बहुत करने का हमें अवसर होना चाहिये।

दूसरे, वह जो चुनाव को स्थगित करने के सम्बन्ध में विशेषक देने वाला था उस का क्या हुआ ?

श्री राजाबतार शास्त्री : जहाँ तक चुनाव को स्थगित करने के विशेषक का संबंध है, आप से फिर परामर्श

लिया जायेगा, नीटर्स थाप अपोजीशन से जैसे पहले लिया गया था, उस के बाद कोई निर्णय लिया जायेगा। स्थिति में परिवर्तन आया है हम में कोई संदेह नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : परामर्श लिया जायेगा और कह दिया जायेगा कि सर्वसम्मति में यह निर्णय हुआ चाहें भले ही हमारा उस में विरोध हो।

श्री राजाबतार शास्त्री : नहीं, सर्वसम्मति हाँगी तो नहीं कहा जायेगा। जहाँ तक बिजनेस का मतलब है दो तीन बिल तो ऐसे हैं जो राज्य सभा में लौट कर आये हैं, एक जहाँ में पान हो कर गया है उस में प्रमेडमेट होकर आया है, बहुत में फार्मन है और दो तीन छोटे-छोटे बिल हैं।

अध्यक्ष महोदय : कब तक बैठना है यह पता बना दीजिए।

श्री राजाबतार शास्त्री : 22 तारीख तक इतना है फिलहाल।

अध्यक्ष महोदय : हाउस को जरा डेफिनेट होना चाहिए कि कब तक बैठना है।

श्री राजाबतार शास्त्री : अभी तक तो 22 तारीख तक ही है।

SHRI S. M. BANERJEE : What about the discussion we have demanded ?

SHRI RAJ BAHADUR : I would beg of hon. members to take note of the fact that the whole matter is being discussed in world forums and in the Security Council. We have never shut out a discussion, but the question is, shall we allow the Foreign Minister to return ? He is expected in two or three days' time. It will be much better if he returns.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North-east) : Let this matter be finalised. Pending the Foreign Minister's return, let Government give an assurance that after the Foreign Minister comes, we shall be sitting and having a discussion.

MR. SPEAKER : I hope it will be possible for you to let the House know about it a little later.

SHRI RAJ BAHADUR : I will consult the Leader of the House and then inform the House.

10.08 hrs.

**STATEMENT RE : REFERENCE OF  
CONSTITUTION (TWENTY-FIFTH  
AMENDMENT) BILL, AS PASSED BY  
PARLIAMENT, TO STATE LEGISLA-  
TURES FOR RATIFICATION**

**THE MINISTER OF LAW AND  
JUSTICE (SHRI H. R. GOKHALE) :** The  
Constitution (Twenty-fifth Amendment)  
Bill, 1971 was passed by both Houses of  
Parliament by majority of the total member-  
ship of each House and by majority of not  
less than two thirds of the members of each  
House present and voting. A question has  
arisen whether before the Bill is presented  
to the President for his assent, the amend-  
ments proposed by the Bill required ratifi-  
cation by State Legislatures under the  
proviso to Article 368 of the Constitution.  
The contention may be put forward that  
the terms in which Article 31C is framed  
deprive the Courts of part of their jurisdic-  
tion and therefore this article required  
such ratification. The Government takes  
the view that such ratification is not neces-  
sary. However, with a view to avoiding  
difficulties that may possibly arise and out  
of abundant caution Government has decid-  
ed to refer the Bill for ratification to State  
Legislatures under the proviso of Article  
368 of the Constitution.

In view of the importance of the matter,  
the State Government are being advised to  
convene their Legislatures as early as  
possible in order to bring the amendments  
into effect within the shortest possible time.

10.10 hrs.

**CODE OF CRIMINAL PROCEDURE  
BILL**

**CONCURRENCE IN RAJYA SABHA RECOM-  
MENDATION TO APPOINT A MEMBER TO JOINT  
COMMITTEE**

**THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI**

**K. C. PANT) :** On behalf of Shri Ram  
Niwas Mirdha, I beg to move :

"That this House do concur in the  
recommendation of Rajya Sabha that  
Lok Sabha do appoint a member of  
Lok Sabha to the Joint Committee of the  
Houses on the Bill to consolidate and  
amend the law relating to criminal pro-  
cedure, in the vacancy caused by the  
resignation of Shri Kedar Nath Singh  
and do resolve that Shri B. R. Shukla be  
nominated to the said Joint Committee  
to fill the vacancy."

**MR. SPEAKER :** The question is :

"That this House do concur in the  
recommendation of Rajya Sabha that  
Lok Sabha do appoint a member of  
Lok Sabha to the Joint Committee of the  
Houses on the Bill to consolidate and  
amend the law relating to criminal pro-  
cedure, in the vacancy caused by the  
resignation of Shri Kedar Nath Singh  
and do resolve that Shri B. R. Shukla  
be nominated to the said Joint Committee  
to fill the vacancy."

*The motion was adopted*

10.11 hrs.

**UNION TERRITORIES TAXATION  
LAWS (AMENDMENT) BILL\***

**THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
(SHRI K. C. PANT) :** I beg to move for  
leave to introduce a Bill further to amend  
certain taxation laws in the Union terri-  
tories.

\*Published in Gazette of India Extraordinary, part II, section 2, dated 17.12.71.

MR. SPEAKER The question is

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend certain taxation laws in the Union territories

*The motion was adopted*

SHRI K. C. PANT I introduce† the Bill

10 12 hrs

STATUTORY RESOLUTION RE DELHI ROAD TRANSPORT LAWS (AMENDMENT) ORDINANCE AND DELHI ROAD TRANSPORT LAWS (AMENDMENT) BILL

MR. SPEAKER We have only 1 hour and 45 minutes left for the discussion on the Statutory Resolution and the Delhi Road Transport Laws (Amendment) Bill. We have to take up the Private Members' Business at 11 30 A.M. I propose that this Bill may be finished earlier because it is no use postponing it just for 10 minutes to next week. I hope you will agree.

He has already filed the statement regarding the expenditure involved. Of course, that was quite a controversial matter. It is safe that he has already filed it. Both the Statutory Resolution and the Bill will be discussed together.

Dr. Lakshminarain Pandeya

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (सदस्य) अध्यक्ष महाशय, मैं प्रस्ताव करता हूँ —

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 3 नवम्बर 1971 का प्रस्तापित दिल्ली सड़क परिवहन विधियाँ (समाधान) अध्यादेश, 1971 (1971 का अध्यादेश संख्या 21) का निरनुमोदन करती है।

अध्यक्ष महाशय, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन इस प्रकार है कि पिछले दिनों सरकार द्वारा

कई अध्यादेश निकाले गये और उन अध्यादेशों की श्रृंखला में दिल्ली सड़क परिवहन विधियाँ (समाधान) अध्यादेश भी साथ साथ लाया गया। कुछ अध्यादेशों के बारे में तो यह बात समझ में आती थी कि उन की अनिवार्यता थी आवश्यकता थी, लेकिन सड़क परिवहन विधियाँ के सम्बन्ध में अध्यादेश प्रस्तापित करने का कोई हम प्रकार का उपयोग कारण नजर नहीं आता। यद्यपि सरकार द्वारा कुछ इस प्रकार की स्थिति बताने का प्रयत्न किया गया है कि इस अध्यादेश का लाने की आवश्यकता क्या पड़ी, लेकिन सरकार की इनके पीछे जा नीयत है या भावना है उस में कुछ संदेहभावना दिखाई नहीं देता।

दिल्ली नगर निगम द्वारा जिस प्रकार स.डी.टी.ए. का माध्यम से दिल्ली का यातायात व्यवस्था का व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया जा रहा था उस का बदनाम करने का दृष्टि से या उस का बाय ठीक से न चले इस दृष्टि से सरकार ने जल्दबाजी में इस प्रकार का अध्यादेश लाने का यत्न किया है। यद्यपि यह बात सरकार द्वारा सीधे नहीं जा कर इस पर राय गिनच इन्स्टीट्यूट तथा मागम्बा समीक्षण की बात नहीं गई है। ये बातें बहुत पुरानी हैं। फिर भी सरकार ने इस समय जो इन का उपयोग किया है यह समझ में आने वाली बात नहीं है। यह बात सही है कि दिल्ली में प्रति वर्ष लगभग डेढ़ लाख आबादी बढ़ती है उस बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिये जिस प्रकार की व्यवस्था हानी चाहिये थी, वह नहीं थी। बस ठीक नहीं था उन के ठीक से हान के कारण लगभग डेढ़-दो वर्ष पूर्व राई निमर्च इन्स्टीट्यूट के कथनानुसार यहाँ पर कुछ मिनट कम चलाने का प्रयत्न किया गया। 100 मिनट बना में के 70 मिनट बसों के परमिट सहकारी समितियों का दिये गये और 30 बसों के परमिट डी.टी.ए. का दिये गये। बूकिंग डी.टी.ए. के अध्यक्ष एक काब्रेन के सञ्जन है मैं उन पर कोई दावा-रोपण नहीं करना चाहता, लेकिन यह बात सही है कि जो 30 परमिट डी.टी.ए. को दिये गये, वे बसें आज तक नहीं चलती हैं। जब कि सहकारी समितियों को जो परमिट दिये गये, उन्होंने

\*Introduced with the recommendation of the PRESIDENT.

घरनी बसे चलाई, जो दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तथा अन्य ज़ूटी पर चली और उन से बहुत काफी राहत मिली।

यह ठीक है कि हमारे यहां की जा बम व्यवस्था है वह अपनी अच्छी नहीं है जितनी बम्बई या अन्य शहरों में है। बम्बई की बसा की सख्या हमारे यहां की बसा की सख्या से कम है लेकिन वर्किंग धावज की दृष्टि से देखा जाय तो उन की बसे 15 मन्टे प्रति दिन के हिमाब से चलती है जब कि हमारे यहां की बसा की वर्किंग धावज बसल 11 बनती है। यहां की 1400 बसा व मसाबने बम्बई की 1100 बसा वा सञ्चालन हमारे यहां से बड़ी ज्यादा अच्छा है। हमारे यहां 1400 में से केवल 8-4 सौ बस ही चली शय बेवार पड़ी रही। इस व लिय डी०टी०यू० के प्रबन्धक ही पर्याप्त रूप से काफी है। जब दिल्ली नगर नियम द्वारा उन का मुधारन की बात बही गई जा कि दिल्ली की आवश्यकता के अनुरूप या और यहां की बढ़ती हुई मांग के अनुरूप या आवश्यकता की दृष्टि से यहां पर 500 नई बस चलाई जायें बर नये स्टम पर चलाई जाय और इस बात का दृष्टि में रखते हुए रोड रिमर्च इन्स्टीट्यूट की सिफारिश के अनुसार जब 65 नई बसा के परमिट डी० टी०यू० का दिय गय ता भी डी०टी०यू० न उनका उपयोग नहीं किया। इनका ही नहीं यहां की बस व्यवस्था का मुधारन के लिये डी०टी०यू० का 368 लाख रुपया दिया गया जिसमें कि नई बसे खरीदी जायें लेकिन उस में से उन्कान 134 लाख रुपया अन्य कार्यों पर खर्च कर दिया। यदि इस रुपय का पूरा उपयोग डी०टी०यू० करती तो यहां की बस व्यवस्था में बहुत मुधार आ सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

दिल्ली नगर नियम न वह भी प्रस्तावित किया कि यहां पर हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बसे मलाई जायें और उन को विभिन्न स्टम पर चलाई जायें, जिससे कि यहां की जनता को जो कठिनाई आ रही है, थन्टी लाइन में खड़े रहना पड़ता है, वह कठिनाई दूर हो सके, लेकिन बीसा कि मैंने शारम्भ में कहा, डी०टी०यू० के अध्यक्ष महोदय के प्रसहचय के कारण, निम्नवादी

Moved with the recommendation of the President.

के कारण वह भी सम्भव नहीं हो सका और सरकार जल्दबाजी में इस अध्यादेश को यहां पर ले आई, ताकि नगर नियम के माध्यम से जनमध की बढ़ती हुई लाक-प्रियता का कम किया जा सके।

घब यह नियम बन गया है एक स्वतन्त्र नियम है और इसमें सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं है लेकिन जैसा सरकार के दूसरे नियम में होता है प्रत्यक्ष में ता हस्तक्षेप नहीं होता है लेकिन छोटे छोटे उन पर सरकारी दबाव बढ़ता जाता है बही स्थिति यहां भी होने वाली है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता ह कि वह जा कुछ भी किया गया बहुत जल्दबाजी में किया गया, यद्यपि उस व्यवस्था का मुधारन वा प्रयत्न किया गया था और व्यवस्था छोटे छोटे मुधारनी चली जा रही थी। नगर नियम न जा सुझाव रखे थ उन पर ठीक व ध्यान नहीं दिया गया सरकारी समितियां व माध्यम से जा मिली बस चानन वा प्रयत्न किया गया उन को दृष्टि में नहीं रखा गया और एक प्रकार में यहां की मुधारनी हुई व्यवस्था का सरकार न ध्यान हाथ में लने वा प्रयत्न किया। इस लिये मरा प्रस्ताव है 14 जा अध्यादेश लाया गया है वह ठीक नहा था इस लिय यत् सभा उस वा निरनमादन करे।

MR SPEAKER Statutory Resolution moved

"This House disapproves of the Delhi Road Transport Laws (Amendment) Ordinance 1971 (Ordinance No 21 of 1971) promulgated by the President on the 3rd November, 1971."

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR)  
Sir, I beg to move\*

\*That the Bill provide for the establishment of a Road Transport Corporation for the Union Territory of Delhi, and, for that purpose, further to amend the Road Transport Corporations Act, 1950, and the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, and for matters connected



[Shri Raj Bahadur]

therewith or incidental thereto, be taken into consideration

My hon friend, Dr. Pandeya, knew that both the Statutory Resolution and this Bill are going to be discussed simultaneously. But, right at the beginning I am sorry to note that he has tried to bring in a little amount of politics and apportionment of blame. I would not do that. I will only try to say what the state of affairs was. Of course, it was well known that the Delhi Municipal Corporation is being run and controlled by a particular Party to which Dr. Pandeya belongs and he is trying perhaps to shift the blame on to a committee of the Corporation which was constituted by and under its own majority in the corporation. It should be having its own majority even on the DTU Board of Management. So these facts are known. I will not go further than that. I will only say what the state of affairs was.

The Delhi Transport Undertaking was created under the Delhi Municipal Corporation Act as far back as 1957. Even at that time there was a demand that it should be run by a statutory corporation. Even so under the arrangement that was brought about through the Delhi Municipal Corporation Act, this was given over to the Municipal Corporation and it functioned from 1957 for a few years when the demand grew louder for the creation of an autonomous corporation. In 1966, in fact a Bill was introduced to replace the Delhi Transport Undertaking by a corporation as a separate statutory body. But the Bill lapsed with the dissolution of the Parliament.

The Administrative Reforms Commission and the Working Group on the Metropolitan Transport Services also recommended the constitution of a statutory corporation. The services of the Delhi Transport Undertaking were loudly complained of by the people and the users.

The finances of the Corporation touched the rock bottom level with increasing losses

from year to year. The gap between the earnings of the undertaking and the expenditure continued to widen. Up to 31st March 1971, the loans advanced by the Government to the DTU totalled up to Rs. 16.58 crores. A very small amount out of that was paid and the outstanding as on 31st March, 1971 was of the order of Rs. 14.5 crores. The loan instalments also remained unpaid. The amount of instalments that remained unpaid aggregated to Rs. 5.5 crores. The amount of interest thereon which also was unpaid was of the order of Rs. 3.71 crores as on 31-3-71. This totalled up to Rs. 8.21 crores. The loans advanced for purchase of vehicles were converted into ways and means resources. I am sure the Party in power in the Corporation could and should have controlled all that. This led to an over-aging of the fleet and acute shortage of buses to the extent that now 37% buses are over 8 years old and 24% of them are as much as over 10 years old on 31st March.

There was only one Central Workshop and little care was given if I may say so to the provision of necessary and adequate machinery and equipment and workshop for maintenance needs.

The DTU owned 1391 buses of which only 934 buses were on the road in the beginning of November, 1971 when the Delhi Transport Undertaking was taken over. 230 private buses were introduced in the service but not to any appreciable effect. 80 buses out of the fleet clearly deserve scrapping.

The scheduled trips per day, although they were advertised to be as many as 15992, in the beginning of 1971 only 12526 were operated, meaning thereby that as many as 3466 trips were not at all operated. It is estimated that 270 more buses are needed just to meet the moderate demands of the people. And a further number of 200 buses could be repaired. If 270 buses could be provided and these 200 buses

could be properly repaired, a good bit of inadequacy perhaps could have been overcome

This state of affairs accounts for the unsatisfactory nature of the services leading to public discontent and considerable law and order problems which are well-known to the House, I need not go into them. The take-over became an unavoidable necessity and we could not escape it. The result was that although the Parliament was not in session and we could not call a special session of the Parliament for this purpose we had to issue an ordinance in view of the law and order problem and in view of the growing and loud complaints. We could not but respond to the demands of the people to redress their grievances. Naturally, an ordinance was promulgated and there was ample justification for that. The Bill only seeks to replace the Ordinance

I may also in a few words make a mention of what has since been done. But I would also like to say a few words on the point Dr Pandeya has specifically dwelt. He has asked what aid was given to the Corporation. Since 1967-68 which I think is the crucial period that he has got in mind the Government had advanced an amount of Rs. 660 lakhs to the erstwhile undertaking of which Rs. 152 lakhs was for ways and means loans and for meeting the working expenses. That means a substantial amount was allocated also for ways and means position. Sec. 288 of the Delhi Municipal Corporation Act 1957 enjoined upon the Delhi Transport Committee to take steps, from time to time for providing, securing and promoting an efficient adequate and economical and properly co-ordinated system of road transport. This was clearly the responsibility of the Corporation and can hardly be shifted to its subsidiary body that was constituted under it.

Since this undertaking has been taken over, a good number of improvements have been made and satisfactory results

have been achieved. The average number of buses now on roads was 1175 in November as against 1118 in October 1971. The number of trips which were scheduled daily have been increased by 519. They are now 16159 as compared to 15625 in October. Trips operated daily also have increased by 1157. The percentage of trips operated is now 77.26%, as against 72.68%. The daily trips this year have thus increased by 981. The average traffic income per day also has increased in the month of November by Rs. 33,834 and the income per bus per day has also increased from 192 to 211. Similarly, the income per kilometre has increased from 108.05 to 110.01. The expenditure per kilometre has gone down from 164.02 NP in November 1970 to 130.37 NP in 1971. The monthly average working loss which used to be of the order of Rs. 13 lakhs between April and September 1971 has been reduced to Rs. 7 lakhs. This, I think is a significant achievement and it has to be taken into account.

However since the Emergency was declared the daily revenues have come down because the DTC had to give up a number of services on account of the black-out. I would like to say that an appreciable progress has been achieved but we should certainly be cautious. We cannot hold out any great hopes for results to be achieved in any short span of time. We are trying to do whatever is possible. For this a number of buses have to be added and we have taken some steps to this end. UP has agreed to loan us 40 buses, of which 35 have already been received.

We have tried to improve the services generally. Many of the major demands of the students have been agreed to. Proposals to link the colonies and other demands of the people have also been met, to a large extent.

Incentive scheme has been introduced to ensure better performance on the part of drivers and other staff. We have fixed safety first as our first target. If driver

[Shri Raj Bahadur]

is able to perform his duties in a way that avoids accident or loss of life or limb while doing his duty satisfactorily, he will be given some prescribed incentive. On the maintenance side also, if the maintenance and repairs ensure smokeless buses, we shall reward the concerned staff and workman with suitable incentives.

Orders have been placed for an additional 264 chassis and 30 mini buses. We hope that by March 1972 these orders will be complied with. A good number of these chassis will by that time also be provided with bodies so as to augment the services.

The LIC group insurance scheme for workers is also under consideration. 267 daily-rated workers have recently been brought on monthly rates of pay. Further action is being processed for more such daily rated workers. We have tried to do whatever is possible within this limited time that we had. It was no pleasure to us to take the DTU over and assume all the responsibility for running it satisfactorily. We did so because of the exigencies of the situation, the public demand, in the face of mounting grievances, leading even to a law and order situation.

With these words, I move

MR SPEAKER Motion moved

"That the Bill to provide for the establishment of a Road Transport Corporation for the Union Territory of Delhi, and, for that purpose, further to amend the Road Transport Corporations Act, 1950, and the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

Both the Statutory Resolution and the Bill are before the House."

SHRI R. V. BADE (Khargone)  
On a point of order Yesterday, Shri Jyotirmoy Bosu had raised an objection concerning the financial memorandum and

I had supported him. When the Bill was introduced, there was some financial memorandum to which we raised objection on the ground that it did not conform to the requirements of the rules. Today he has not formally introduced the revised memorandum. When I came here I found this paper lying on my seat. It should have been formally introduced, for it is part and parcel of the Bill.

MR SPEAKER I have carefully seen it and allowed it.

SHRI R. V. BADE Yesterday the Deputy-Speaker had said that he would give a ruling on this.

MR SPEAKER The hon. Minister has complied with the requirement.

SHRI RAJ BAHADUR With all respect I still maintain in regard to that matter in which a ruling was reserved yesterday that it was not necessary for me to do so. But in order to overcome the objection raised I have done this.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) I still maintain that he is required to do it.

MR SPEAKER When I am here, why should the Minister interject with this observation?

SHRI RAJ BAHADUR I submit that that no such ruling may be passed which may embarrass us in future.

✓ ५

श्री मोहनलाल इल्लाहवासी (बेगपुर) दिल्ली परिवहन नियम बनने जा रहा है। उनके विधित्त में मैं दो तीन बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि हम सोमो का तज्जुा यह है कि विभिन्न जगहों पर जो भी कारपोरेशन बने हैं वहाँ हर तरफ़ से चल रहे हैं कि उनमें मासेज हो रहे हैं और पैसबरो को सुविधायें मिलने की बजाय सफ़ाई हो रही है। यही बातें दिल्ली में भी माफ़ होनी हैं। जब यह कारपोरेशन बनने जा रहा है तब तब तक पहले वहाँ पर जो कर्रप्शन चल रहा है, जो दुर्गति चल

रही है, उस घर ध्यान रखना होगा। हम ने देखा है कि पश्चिम बंगाल में जो कलकत्ता ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन है उस को करोड़ों रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देने पड़ते हैं, लेकिन धामदनी नहीं बढ़ती। वह हर साल गिरती ही जाती है। हर साल उस कारपोरेशन को 2 करोड़ रुपये सेंट्रल को देने होते हैं। वहाँ के मन्त्रियों के बारे में भी ऐसी हालत कर के रखी गई है कि जिन में उन का कोई मतला हल नहीं हो पाता है।

जहाँ तक वैसेजों की सुविधाओं का सवाल है, आप न देखा होगा कि कलकत्ते में उन की कितनी तकलीफें होती हैं कारपोरेशन की बसों में। बसों की हालत ऐसी है कि पार्स गायब रहते हैं, टायर्स गायब रहते हैं, पुराने टायर लगाये जाते हैं। एक ट्रिप लगाने के बाद वह गाड़ियां बन्द हो जाती हैं और उस के बाद उन के वैसेजस दूसरी गाड़ियों में लटक-लटक कर चलते हैं। इसमें बावजूद भी नुकसान होगा है। आखिर इस का कारण क्या है? यह सारी चीजें कलकत्ते में हो रही हैं, लेकिन उन में से कोई चीज हल नहीं हो पाई है। कई बार कमेटीयां बना कर एम्बेयरी की गई लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया है।

दिल्ली में जो कारपोरेशन बनने जा रही है उस में भी यही मतलब आयेंगे। अभी तक तो स्थिति यह है कि यहाँ पर लोग क्यू लगाकर गाड़ियों में बैठते हैं, लेकिन कारपोरेशन बनने के बाद वैसेजों को जो सुफार्न/2 होती है, प्राक्सों से निकलने के बाद घंटों उन को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और उन को पता नहीं होता कि कब नम्बर आयेगा, उस की तरफ भी ध्यान देना होगा।

यहाँ पर कारपोरेशन बनने के बाद कम से कम इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना होगा कि बसों की संख्या को बढ़ाया जाये और अल्टी से जल्दी बसों में चीज के मतलब को हल किया जाये ताकि इस सड़की के मौसम में लोगों को घंटों लाइन में लग कर खड़ा न रहना पड़े। एक तो बसें मिलती नहीं हैं, फिर उन का टाइम भी ठीक नहीं है, लोगों को यह पता नहीं होता किसी किसी स्ट पर कि इस कब आयेगी। आप को इस की ओर भी ध्यान देना होगा।

इस कारपोरेशन में एक बिजिनेस सेल होगी चाहिये। उस का काम यह होगा कि जो टायरों की चीजें होती

हैं, स्पेयर पार्ट्स की चीजें होती हैं और वैसेजों को तकलीफें होती हैं उन तमाम चीजों को वह देखे। अगर यह नहीं किया जाता तो जिस तरह बंगाल में हो रहा है कि वहाँ के ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को सेंट्रल से राया देना पड़ता है उसी तरह से यहाँ भी होने लग सकता है। लोग यह सोचने लगेंगे कि सैदा भये कोतवाल सब डर काते का। जब स्टेट कारपोरेशन हो गया है तब प्रचारिटीज जो चाहेंगे उन के लोग बही करे और प्रांटोनमस बाडी जो भी रिपोर्ट दे देगी उस को आप मान लेंगे। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बाहर के लोगों को दे दिये जाते हैं और बसों का काम रुक जाता है। इस सेल को उन की तरफ भी ध्यान देना होगा। दिल्ली को कम से कम कलकत्ते से सबक सीखना चाहिये। यहाँ पर जो पब्लिक की बसें चलती हैं, यानी जो प्राइवेट प्रापरेटर्स की गाड़ियां चलती हैं उन में एक गाड़ी में तीन तीन यावमी चलते हैं तब भी मुनाफा होता है, लेकिन जो कारपोरेशन की गाड़ियां चलती हैं उन में एक यावमी चलता है फिर भी नुकसान होता है। इस को क्या बजह है? हम को इस तरफ भी ध्यान देना होगा।

इस मिलमिले में मैं एक दो बातें और भी बतलाना चाहता हूँ जहाँ तक इमर्जेंसी का सवाल है वह तो है ही, फिर भी एक बात जरूर ध्यान देने लायक है। यहाँ पर सिगल ट्रक प्रापरेटर्स भी हैं और बड़े बड़े ट्रक प्रापरेटर्स भी हैं जिन के पास कई-कई ट्रकें होती हैं। आज देखने में यह आया है कि जो छोटे-छोटे प्रापरेटर्स हैं, जिस एक गाड़ी में तीन तीन मालिक हैं, उन की गाड़ियां हेरेममेंट करने के लिए पुलिस बालों के जरिए ले ली गई हैं लेकिन बड़े बड़े प्रापरेटर्स की गाड़ियों को नहीं लिया गया है। नतीजा यह होता है कि छोटे छोटे प्रापरेटर्स की फीमिलीज आज स्टार्च कर रही हैं। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस बात की एम्बेयरी करें। अभी हाल में इस तरह के कई केस पकड़े गये हैं। मैं उन के बारे में आप को बतलाना चाहता हूँ। एक सिगल ट्रक प्रापरेटर है जिस की गाड़ी का नम्बर 9222 की एस एस है, उस की गाड़ी को ले लिया गया है लेकिन दूसरी तरफ एक यावमी तिलक राम भुज्जा है, जिस के पास पांच गाड़ियां हैं, लेकिन उस की एक यावमी को भी नहीं लिया गया है। पहले एक गाड़ी ली गई थी, लेकिन बाद में उस को वापस कर दिया गया। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की इस चीज की तरफ आप को सबजह देनी होगी। आज मुझ मेरे पास एक साक्ष्य

[ श्री मोहम्मद इस्माइल ]

घाये और रोने हुए कहने लगे कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा है और हमारे बच्चे भूखा मर रहे हैं। बुकि प्राज मुझ को मौका मिल गया इस लिये मैं ने इस चीज को आप के सामने रख दिया। मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय इस चीज का ख्याल रखेंगे।

श्री अमर नाथ चावला (दिल्ली लखर) मैं भारत सरकार और ट्रांसपोर्ट मिनिस্ট्री का मुखारिफ़ाद देना हूँ कि उन्होंने दिल्ली की ट्रांसपोर्ट बसों को अपने हाथ में लिया और उसके लिए एक प्रलय में कारपोरेशन की स्थापना की। दिल्ली की जनता कई सालों से बड़ी तकलीफ़ में थी। दिक्कत में थी। आप तो जानते हैं कि दिल्ली के बस स्टैंडों के ऊपर सैकड़ों की तादाद में क्या लगी रहती थी लेकिन लोगों को बसें नहीं मिलनी थी और इंतज़ार करने रहते थे उनके कई घंटे जाया हो जाया करते थे। मैं सरकार का और भी ज्यादा मुखारिफ़ाद देना चाहता हूँ। अगर यह कदम हमने पहले उठा लिया गया होता और दिल्ली की जनता का रहन पढ़ा भी गई होती।

मेरा यहाँ की ट्रांसपोर्ट में कुछ सम्बन्ध रहा है। इसके अन्दर तीन चीज़ों की आवश्यकता ज्यादा होती है। पहली तो यह है कि दिल्ली की जनता के लिए पर्याप्त मात्रा में बसों की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मंत्री जी के मे मुविद्या नहीं पहुँचाई जा सकती है। उधर भी ज्यादा जरूरी यह है कि बसों की मटेनेंस नहीं हो। वर्कशॉप में उनका मंत्री जी के मटेन्स किया जाए। ऐसा अगर किया जाना है तो जो टाटल नम्बर आफ़ बसों की मटेनेंस है उन में से ज्यादा में ज्यादा का मटेन्स पर लाया जा सकता है। एक बात यह भी है कि पिछले कई सालों में यहाँ की वर्कशॉप की हालत बहुत बुरी रही है। इस वजह से मटेन्स पर जो बसें निकलती थी उन में इतना ज्यादा धुआँ निकलता था कि जनता की हेल्थ पर भी उनका बुरा असर पड़ता था। यह सब भी होता है। यहाँ की वर्कशॉप की हालत अच्छी नहीं रही है। उसके अन्दर कई चीज़ें आती हैं। स्पेयर पार्ट्स आते हैं। वर्कमैनशिप आती है, मैनेजमेंट आता है। आप अगर स्टॉक को देखें तो आप को पता चलेगा कि लाखों की तादाद में आक्सेलीटीव पार्ट्स बड़ा पड़े हुए हैं जो इन्फ़ेन्स में आते बाने नहीं हैं। रेवेन्यू का बीकेज भी नहीं, इसकी तरफ़ भी ध्यान जाना चाहिये। एक अद्वय ने कहा है कि रेवेन्यू का बीकेज

यहाँ पर हाता रहा है, कुर्रप्शन होती रही है। इसको बन्द करने के लिए यह बात सही है कि कोई विजिनेस लेवल हो या गेसी ब्लोम हो जिसके अन्दर इनको बांध दिया जाये बड़ी क्लोज़नी नाकि सीकेज न हो। इन तीनों कामों का अगर आप कर पायेंगे तो जनता को ज्यादा मुविद्या मिल सकेगी।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि बम्बई की बस सुविधा बहुत अच्छी है। लेकिन जहाँ तक उनका नास्लक है वहाँ भी अलगाव अलगाव अलग की हालत अलग अलग है। बम्बई में तो नयी बसें हैं पैसे भी हैं। जो बसें जिधर भी जाती हैं या आती हैं वे पैसेजमें में भारी रहती हैं। दाना तरफ़ बसें आती और जाती हैं तो किंगया बसूत होना रहता है। बसें खाली एक तरफ़ नहीं चलती हैं। दिल्ली चारों तरफ़ फैल रहा है। अगर भर कर बसें चलती हैं तो जब वे बसिप आती हैं तो उनका खाली बसिप जाता पड़ता है। इस तास्त बम्बई से दिल्ली का मकामला नहीं हो सकता है।

एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। दिल्ली शहर का अगर आप नहीं तरीके से गिटो ट्रांसपोर्ट देना चाहते हैं तो बसों के अलावा भी कुछ और मोड आफ़ ट्रांसपोर्ट यहाँ आपका प्रोवाइड करना होगा, उनका लिए प्लानिंग करना होगा। यहाँ की आबादी नियाना बढती चली जा रही है। हर साल डेढ़ लाख मक्या यहाँ की आबादी बढ़ जाती है। मेरा प्रस्ताव यह है कि इस बरस दिल्ली की आबादी 40-45 लाख के करीब है। आबादी की इस बढ़ती हुई रफ़्तार का दखले हूँ यह जरूरी है कि यहाँ पर अदरकाउट रखें वे बसों के लिए किया जाये, उनका यहाँ बनाया जाए। ऐसा नहीं किया गया तो एक बरस ऐसा आगमा कि दिल्ली में जब बसों की तादाद बढ़ेगी तो न सिर्फ़ फिर भी वे दिल्ली की आबादी के लिए नाकाफी होगी बल्कि माथ माथ रॉड भी ब्लॉक बनेगी। इसलिये कैज में ममला कुछ हद तक हल हो सकता है। निम्न बसों के ऊपर इसलिये बसों बनाया जायेगा तो रॉड पर कम प्रेशर आगमा, स्पेस कम इन्फ़ेन्स होगी। लेकिन फिर भी एक बरस आगमा जब रॉड स्पेस नहीं रहेगी। इसका सीधे तौर से ज़ायद आपका बाला न हो। लेकिन मैं दरखास्त करता हूँ कि आप इसको देखें विजिनेस के साथ टेक-अप करें और इसकी करवाने की कोशिश करें। बुकि ट्रांसपोर्ट आपके पास है इस बाले आपको इसके बारे

मे इमिग्रिएटिव लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अवरसाइड रेलवे यहाँ प्रोवाइड हो।

दुनिया की कोई सिटी ट्रांसपोर्ट सैलफ सफिशेंट नहीं है। हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान के बाहर की फ्लिग्स को प्राप मगा कर देख सकते हैं और प्रापको पता चल जाएगा कि कहीं भी सिटी ट्रांसपोर्ट सैलफ सफिशेंट नहीं है। हमेशा उसे सबसिडी मिलती है, उसको सबसिडीइज करना पड़ता है। यहाँ की रोड ट्रांसपोर्ट को भी हमें सबसिडीइज करना पड़ेगा या फिर हमें इंटर स्टेट्स रूट्स चलाने पड़ेंगे। हिन्दुस्तान के दूसरे शहरों में जहाँ सिटी ट्रांसपोर्ट है वहाँ बें लोण इंटर स्टेट्स रूट्स भी चलाने हैं और उन से उनकी ग्रामदनी हाती है और जो साथ उनको सिटी ट्रांसपोर्ट में होना है, उन ग्रामदनी से वे उसको मोट करते हैं। बम्बई के अन्दर इलेक्ट्रिसिटी अवरटेकिंग से ट्रांसपोर्ट अवरटेकिंग को काफी मात्रा में सबसिडी मिलती है जिसने वह धपना बजट बैलेस करनी है।

अन्त में मैं एक बार फिर मनी महोदय को म्बारिक-बाध देता हूँ कारपोरेशन बनाने के लिए और भाषा करता हूँ कि इसके मीनेजमेंट को वह इस तरीके का बतायेंगे कि इन तीनों बातों का ध्यान रखा जा सकेगा और जो लोग रखे जायेंगे वे ऐसे होंगे जो इसका ख्याल रखें कि बमिस एडिक्वेट हो, मेटेनेन प्रापर हो और लोकेज और कुर्रप्शन बन्द हो।

बी एल० एम० बमर्जी (कानपुर) - अध्यक्ष महोदय, मैं मनी महोदय को बधाई देना चाहता हूँ इस बिसेयक को यहाँ लाए जाने के लिए। जब बाइनेस जारी हुआ था तब भी हमें तथा दूसरे लोगों को बड़ी खुशी हुई थी। दिल्ली की डी० टी० यू० से जिनका वास्ता पड़ा है उन पर जो बेवसी का ध्यान तारी रहता था उससे वे परेशान हो जाने थे। उनको खुशी इनसे सब से ज्यादा हुई और उन्होंने सोचा कि यह जो मिस-मैनेज्ड कराते हैं, अब इसकी कोई नई रूप रेखा हो जाएगी। पावे जी इस बात को नहीं मानते हैं कि यहाँ पर कुर्रप्शन था, मिसमैनेजमेंट था। कुर्रप्शन तो हर जगह थोड़ा थोड़ा होता ही है लेकिन डी० टी० यू० में इसके अलावा कि कुर्रप्शन ही और भी बहुत ही तकलीफें थी। अध्यक्ष महोदय, बापको तो शायद डी० टी० यू० में सफर करने का मीका नहीं मिला लेकिन अगर प्राप में सफर किया होता तो बापको पता चल जाता कि किस

तरह से लोगों के साथ बड़ा व्यवहार होता है, किस तरह से लोगों के साथ ऐसा व्यवहार जाता है। बहुत बुरा व्यवहार उनके साथ होता था। हमारी बहनें हो या भाईं हो सब को ऐसा मारूम होता था कि टिकट जारी देने के बाद जैसे प्राप उनकी जागीरदारी में कबम रख रहे हैं। इसना ही नहीं कि खराब व्यवहार होता था बल्कि अगर एक सैकिड के लिए आपने किसी बस को मिस कर दिया तो फिर प्राप चाहें प्राप भी प्राप, नास्ता कर प्राप और उसके बाद भी अगर बस प्रा जाती तो गमीसल समझा जाता था। 45 मिनट के बाद बस प्राती थी। इसलिए ग्राम तीर पर दिल्ली के लोग डी० टी० यू० के बारे में कहना करने थे, कि इसके माने यह है कि बोट ट्रस्ट प्रा, हम पर बिश्वास मत करो, प्रा भी सकते हैं, नहीं प्रा भी सकते हैं। मैं समझता हूँ कि निगम बन जाने के बाद इन सब कमियों को हम दूर कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि अगर किसी राजनीतिक मकसद से इनको लिया गया है तो भी यह सही राजनीति है और इसका अपने हाथ में ले लेना चाहिये था। इस बात का उनका हक देना कि जिस तरह से चाहूँ चलावे और उसके तमाम फायनेस को तहस नहस कर, ठीक नहीं होता। यह जनसभ के हित में भी नहीं था। यह चीज अब उनके हाथ से निकल गई है यह अच्छा ही हुआ। अगर ऐसा न होता तो हो सकता है कि प्रागे चल कर वह दिल्ली में और सीटे हारते।

230 बनें प्राइवेट प्राप्रेटर्स से भी गई हैं। मैं प्राषा करता हूँ कि यह चीज भी बन्द होगी। बसो की तायाद भी बढनी चाहिये। अभी मेरे मित्र श्री चावला ने कहा कि बसों में नुकसान होता है, पीक प्रावर्ष में काफी मरगिया एक तर्प से जाती हैं लेकिन बागिम बसें जब प्राती हैं तो शायद कम प्राती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्राज बम्बई, कलकत्ता, मद्रास प्रादि में भी तकरीबन ऐसा ही होता है। एक बकन गेमा होता है जब अधिक लोग यात्रा करते हैं। लेकिन ऐसा की बल होता है जैसे बोहदर का बल जिस वक्त कम लोग बसों में बढते हैं। उस वक्त में दो बार थंटे के लिए अगर ऐसा टिकट जारी किया जाए जिसमें छोटे बच्चे जा सकें, देख सकें, धूम तकें सिवाय इतबार के दिन के तो काफी फायदा हो सकता है। इसके लिए प्राप स्पेशल टिकट जारी कर सकते हैं। तीन बार थंटे के लिए। इससे काफी लोगों को सवारी करने का मौका मिल सकता है।

[श्री एस० एम० बनर्जी]

रिपेअर का सवाल भी आता है। बर्कसाप को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। यह सही फैसला है। एक बर्कसाप में तमाम चीजें रिपेअर नहीं हो सकती हैं। जिस तरह से धाबादी बड़ रही है और इस वक्त शायद 36 लाख के करीब धाबादी हैं उसको देखते हुए हम सविन का भी विस्तार होना चाहिये (बम्बछान) कोई धाबेवासी पांच बच्चों से कम साथ लेकर सफर नहीं करता जबकि बस के पीछे लिखा रहता है कि दो या तीन बच्चे। वे समझते हैं कि शायद उनके लिए डी० टी० यू० की बसों पर चढ़ना मना है। बसों पर इस तरह के एडवर्टाइजमेंट लगाने से डी० टी० यू० को फायदा नहीं हुआ है। इसलिए बसों पर ये एडवर्टाइजमेंट न लगाये जायें, ताकि पांच बच्चों वाले लोग भी उन पर चढ़ सकें।

आज दिल्ली चारों तरफ बड़ रही है। ऐसा मालूम होता है कि रोहताक और फरीदाबाद वगैरह सब इनाके मिल कर एक शहर बन जायेगा। जिस तरह बम्बई में कनजेशन को एवायड करने के लिए और बसों, टैक्सियों और कारों को डाइवर्ट करने के लिए फनार्ड-शोबर बनाये गये हैं। इसी तरह दिल्ली में भी फनार्ड शोबर बनाये जायें, ताकि यहाँ की सड़कों पर कनजेशन कम हो सके।

इस नई कार्पोरेशन में मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। उनके चुने हुए नुमायदों को मीनेजमेंट में लिया जाना चाहिए, चाहे वे नुमायदे आई०एन०टी०यू०सी० से ताल्लुक रखते हों और चाहे ए०आई०टी०यू०सी० या एच०एम०एस० से। जब सरकार ने बैंको और इन्फोरेन्स के मीनेजमेंट में वर्म-चारियों के नुमायदे लिये हैं और सब पब्लिक अडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन ग्राम लेबर इन मीनेजमेंट की पालिसी का ऐलान किया है, तो फिर इस कार्पोरेशन को भी अच्छी तरह से चलाने के लिए मजदूरों का सहभाग्य प्राप्त किया जाये। अगर सरकार मजदूरों के नुमायदों का सहयोग लेगी, तो वे अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह महसूस करेंगे। जब इन्फोरेन्स के तराजू के एक पलड़े में उन के फायदा होये और दूसरे में उनके हुकक, तो दोनों पलड़े बराबर हो जायेंगे। दुर्गापुर से मजदूरों के नुमायदों को जैवरल मीनेज्वर बनाया गया है और वे उसका स्वागत करता हूँ। यही व्यवस्था इस कार्पोरेशन में होनी चाहिए।

मजदूर एक बहुत एक्सप्लायटिव सैक्शन हैं। उन की सविन कम्प्लेक्स में सुधार किया जाना चाहिए।

मैं यह नहीं कहता कि उन की हालत में प्रीरन ही सुधार कर दिया जाये। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कार्पोरेशन बनाई गई है, उस से वे लोग यह महसूस करें कि उनकी हालत सुधरने जा रही है। मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ और मंत्री महोदय को यह विश्वास दिलाता हूँ कि बर्कज एंजॉयमेंट्स और धाब-इंडिया ट्रेड यूनियन का प्रेम इस तरह से मरकार को अपना सहयोग देगे।

यह भी सतोष की बात है कि विधायियों और डी० टी० यू० के बीच में जो सचर्चा चल रहा था, वह भी बन्द हुआ है।

श्री राम सहाय पांडे (राजनदागा) ऐसा सहयोग न दें, जैसा श्री जार्ज फर्नेन्डीज ने बम्बई में दिया था।

श्री एस० एम० बनर्जी श्री जार्ज फर्नेन्डीज न बम्बई में क्या किया, यह मुझे मालूम नहीं है। मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ।

मैं मंत्री महोदय को यह विश्वास दिलाता हूँ कि हम पूरा सहयोग देगे। वह मजदूरों के हुकक की निफाजत करे और मजदूर अपने फायदे का निभायेंगे।

(57)

श्री एच० के० एल० अगत (पूर्व दिल्ली) अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली की जनता की धार से इस बिल का हार्दिक स्वागत करता हूँ और इस बिल को मानने के लिए मंत्री महोदय, श्री राज बहादुर, को मुबारकबाद देता हूँ।

दिल्ली ट्रामपोर्ट अडमिनिस्ट्रेशन की हालत यह हो चुकी थी कि उस की तमाम बसों में मे बस से बस साठ परसेंट बसें आठ दस साल की पुरानी हैं। ट्रामपोर्ट का काम ऐसा है, जिसको लेने के लिए अक्सर लोग भाग-दौड़ करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत फायदा होता है। दिल्ली के प्राइवेट प्रापरेटर इसी काम को बहुत मुफ्त में कर रहे थे, जबकि दिल्ली ट्रामपोर्ट अडमिनिस्ट्रेशन बहुत धाटे में चल रहा था। जैसाकि मैंने कहा है, उसकी साठ परसेंट बसियाँ बहुत पुरानी हो चुकी हैं। उसके लगभग 1500 बैसी टिप होते हैं, लेकिन हमारी बसें रोजाना लगभग दो तीन सौ टिप मिस करती थीं। अगर एक टिप की सामदानी 150 या 200 रुपये हों, तो दिल्ली ट्रामपोर्ट अडमिनिस्ट्रेशन को करीब पांच छ लाख रुपये रोजाना का घाटा हो रहा था।

श्री चव्हाण और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मृतवा-  
निर चार पांच साल से उसको रुपया दिया जा रहा था ।  
वह रुपया बसों के लिए दिया जाता था, लेकिन उसको  
वेज एंड मीज में कनवर्ट करके दूसरे कामों में इस्तेमाल  
किया जाता था और ज्यादातर रुपया बसों के लिए  
इस्तेमाल नहीं किया गया । नतीजा यह हुआ कि बसों  
के फ्लीट में आगमेशन या इम्प्रूवमेंट की जो आशा  
थी, वह पूरी नहीं हुई । श्री बनर्जी ने ठीक कहा है कि  
लोग डी०टी०यू० "डोट टूस्ट ग्रस" के नाम से पुकारते  
थे, क्योंकि उनको यह भरोसा नहीं था कि उस की  
बस कब आयेगी और कहाँ ले जायेगी ।

हालत यह हो गई थी कि 31 मार्च तक शायद 16  
करोड़ रुपये का कर्जा सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल्ली ट्रांसपोर्ट  
अंडरटेकिंग के जिम्मे था, जिसमें से 14 करोड़  
रुपया डेट का और साढ़े पांच करोड़ रुपया इन्वेंट का  
उत्पन्न नहीं दिया । प्राइवेट आपरेटर फिनांशल कम्पनीज  
से बड़े भारी इन्वेंट पर, रिकॉरिंग इन्वेंट पर, कर्जा  
ले कर, साल दो साल में किसी अंदाज में लाखों रुपयों  
का प्राफिट कमा लेते हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट से ईजी  
टर्मज पर रुपया लेने पर भी दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग  
का कर्जा ही बढ़ता रहा है ।

इसका कारण यह था कि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट और  
ट्रैफिक के मसलों के बारे में कोई पालिसी दिल्ली एड-  
मिनिस्ट्रेशन और डी०टी०यू० ने मिल कर फ्रेम नहीं  
की । इसका नतीजा यह है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडर-  
टेकिंग कम्पलीट मेस की हालत में हो गई थी । इस  
लिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आर्डिनंस के द्वारा इस  
अंडरटेकिंग को लिया, तो दिल्ली की जनता ने उसका  
बहुत स्वागत किया । अभी श्री राज बहादुर ने बताया  
है कि इस थोड़े समय में ही दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग  
में कुछ डायरेक्शन में इम्प्रूवमेंट हुआ है । इस  
में कोई शक नहीं है कि इन दिनों में कुछ हद  
तक मार्कड इम्प्रूवमेंट हुआ है ।

लेकिन मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ  
कि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट के मसले को हल करने के लिए  
सिर्फ बसों की तादाद को बढ़ाना ही काफी नहीं है ।  
मैं यह महसूस करता हूँ कि 1500 बसों से, जिसका  
एसेसमेंट दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने किया है, कुछ  
इम्प्रूवमेंट होगा । लेकिन उस से दिल्ली का काम नहीं

चलने वाला है । दिल्ली को उस से ज्यादा बसों की  
जरूरत है । दिल्ली में यह बीमारी खानी बसों की  
तादाद में कमी की वजह से नहीं है । इस के लिए एक  
ट्रांसपोर्ट पालिसी बनानी पड़ेगी । ट्रांसपोर्ट जोन बनाने  
पड़ेंगे और स्ट्रुट को नैशनलाइज करना होगा ।  
यह देखना होगा कि कितनी बसिज-आज की बसिज  
और नई आने वाली बसिज-उस गरिया को केटर कर  
सकेंगी । दूसरे मोडर्न आफ ट्रांसपोर्ट को जुटा कर  
एक को-ऑर्डिनेटेड सिस्टम आफ ट्रांसपोर्ट बनाना  
पड़ेगा ।

आज दिल्ली की हालत यह है कि दिल्ली की सड़कों  
पर डी०टी०यू० की बसें भी चल रही हैं, प्राइवेट बसें भी  
चल रही हैं, स्कूटर भी चल रहे हैं और टैले तथा साइकल  
रिक्शा भी चल रहे हैं । ऐसा लगता है कि दिल्ली की  
कोई ट्रांसपोर्ट पालिसी है ही नहीं और यह एक बहुत  
बड़ी फ़ैल्योर है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली  
ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की । जो लोग पिछले चार पांच साल  
से दिल्ली के शासन का चला रहे हैं, उन्होंने दिल्ली की  
ट्रांसपोर्ट समस्या का बहुत बुरा हाल किया है, जनता  
को बहुत परेशान किया है । जब दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडर-  
टेकिंग को लिया गया, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि यह  
एक पोलिटिकल डिजिजिन लिया गया है । यह पाली-  
टिकल डिजिजिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिजिजिन है,  
जो बरसों पहले लिया जाना चाहिए था ।

आप देखें कि दिल्ली की ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का  
जो हाल है वही हाल पानी की अंडरटेकिंग का है, वही  
हाल बिजली की अंडरटेकिंग का है, वही हाल कारपोरेशन  
के जनरल विंग का है । हमारी गवर्नमेंट ने जिस अंडर-  
टेकिंग को लिया, जिस समय लिया उस समय उसका  
चेयरमैन कांग्रेस का चुनाव हुआ आदमी था । लेकिन  
दिल्ली की जनता ने उसका बेलकम किया, दिल्ली  
के कर्मचारियों ने बेलकम किया । तो मैं राजबहादुर  
जी से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के बारे में ट्रांसपोर्ट  
और ट्रैफिक की एक डेफिनिट पालिसी बनाएं और  
दिल्ली को जोन्स में डिवाइड कर के डिफरेंट मोड्स  
आफ ट्रांसपोर्ट जो हैं, जितने सोमज ट्रांसपोर्ट के हैं उनको  
मोबिलाइज कर के ट्रांसपोर्ट की सर्विस को इम्प्रूव करें ।  
मैं उन से आशा करता हूँ कि वह इस के लिए पूरी  
कोशिश करेंगे । दिल्ली में बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकती  
है लेकिन वह एक पालिसी बना कर उसको बोलडो



[श्री एच० के० एल० भगत]

ले कर चलने से होगा। उस में कुछ लोग अपने वेस्टेड इन्टेरेस्ट के परेशान भी होंगे। लेकिन दिल्ली की यह ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन मुझे पूरा यकीन है उनकी रहनुमाई में दिल्ली के लोगों का काफी भला कर सकेगी।

एक बात और मैं उन की नोटिस में लाना चाहता हूँ कि यह जो दिल्ली में आप सविसेज बढ़ा रहे हैं या ट्रिप्स बढ़ा रहे हैं उन को बढ़ाते समय इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि जो नैग्लेक्टेड एरियाज हैं, गरीब लोगों की कालोनीज हैं, झुग्गी झोपड़ियों के इलाके हैं, और दिल्ली में सैकड़ों बस्तियां ऐसी हैं जिन को अन-एथोराइज्ड कालोनीज का नाम दिया जाता है, जहां लाखों लोग बसते हैं, उन की ट्रांसपोर्ट सर्विस इनएडीकेट और बिल्कुल होपलेस है, तो जब आप बसेज या सविसेज बढ़ाएं तो इस बात को देखें कि जिन इलाकों में एनएडी-केट सर्विस है वहां पहले सर्विस बढ़ाएं। मान लीजिए कुछ शोर ज्यादा मच जाता है कुछ फैशनेबल लोक-ल्टीज में, उन इलाकों में जहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अखबार भी ज्यादा जोर से उन के बारे में लिखने लग जाते हैं तो ज्यादा ध्यान उन की तरफ चला जाता है। और ये एरियाज नैग्लेक्टेड रह जाते हैं। तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। एक बात मैं उन की नोटिस में यह लाना चाहता हूँ कि जमुना के पार सात आठ लाख लोग बसते हैं। उन स्लम एरियाज के लिए, उन झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए सविसेज बहुत इनएडीकेट हैं और वह लोग बहुत परेशान हैं। उन एरियाज की तरफ खास तौर पर तवज्जह दी जानी चाहिए।

इस के साथ सविसेज या बसेज की तादाद बढ़ाने के साथ-साथ जो ट्रैफिक की वाटिलनेक्स हैं, रोड्स की प्रावलम्स हैं, ब्रिजज की प्रावलम्स हैं, ओवर ब्रिजज की प्रावलम्स हैं उन को अगर साल्व नहीं करेंगे तो बड़ी दुश्वायियां होंगी। पुराना तवारीखी जमुना का ब्रिज जो है उस पर आप जा कर देखें, मुबह के टाइम आप देखेंगे दो दो घंटे, तीन तीन घंटे, हजारों लोग वहां रुके रहते हैं। यू० पी० से ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। जमुना के पार की आबादी बहुत बढ़ गई है और उस पुराने पुल पर घंटों लोग रुके रहते हैं, परेशान होते हैं। जमुना पर एक और पुल नया बना तो वह वर्षों इस वजह से रुका रहा कि कोई दस बीस घर वाले रास्ते में आते थे, हाईकोर्ट से स्टे आर्डर हो गया। अब मैंने सुना है कि स्टे आर्डर वैकेट हो गया है। तो एक तो उसके दूसरे पुल को चालू करने का इंतजाम होना चाहिए लेकिन

उस पुल से भी समस्या हल नहीं होगी। जब तक पुरानी दिल्ली में जमुना पर एक या दो पक्के पुल न बन जायें तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। अगर उन के बनने में देर लगेगी। तो जब तक वह नहीं बनते तब तक किश्तियों के दो और आरजी पुल बनाए जायें जैसे कि एक पुल आज चल रहा है। तब जा कर जमुना के पुल पर ट्रैफिक कंजेशन दूर होगा।

मेरे लायक दोस्त श्री अमर नाथ चावला ने....

अध्यक्ष महोदय : यहां सभी लायक ही हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं सभी के लिए लायक शब्द ही इस्तेमाल करता हूँ और आप सब से ज्यादा लायक हैं अध्यक्ष होने के नाते।

अध्यक्ष महोदय : यह अदालत का शब्द है।

श्री एच० के० एल० भगत : अमर नाथ चावला जी ने कहा कि दिल्ली के लिए रिंग रेलवे बनाई जाय। दिल्ली के लिए रिंग रेलवे की बात 20 साल से चल रही है। 20 साल से चर्चा होती है और बात खत्म हो जाती है। मैं इस समय दिल्ली के बारे में मोटे तौर पर एक और बात कहना चाहता हूँ। दिल्ली के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत करती है और बहुत किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बहुत मदद की। यह कहना कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देती, दिल्ली के साथ डिस्ट्रिक्टिनेट करती है, मैं अबद से कहना चाहता हूँ यह बिल्कुल गलत बात है। अगर पिछले पांच साल के आंकड़े लिए जायें जो रुपया पिछले पांच सालों में दिल्ली कारपोरेशन को या दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है वह कहीं ज्यादा है उस रुपये से जो उस से चार पांच साल पहले दिया था। तो यह कहना कि दिल्ली को रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट कम देती है यह बिल्कुल गलत बात है। कुछ हमारे दोस्तों की यह आदत हो गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कहें कि रुपये दो और जितना ज्यादा रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट दे उतने ही जोर से उसे गालियां दें और उस की निन्दा करें। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से एक बात कहना चाहता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट एक काम्प्लेक्स से सफ़र करती रही है कि यह वाजपेयी जी की पार्टी है, अमोजीशन पार्टी है, इसलिए इस को ज्यादा खुश करो। जितना ज्यादा उन को खुश करने की कोशिश इन्होंने की उतने ही यह खुश नहीं हुए।

में आखीरी बात कह कर समाप्त करता हूँ। दिल्ली के सवालाल तेजी से फैल रहे हैं। दिल्ली के लिए चाहे ट्रांसपोर्ट का सवाल हो, या दूसरे सवाल हों, सब के लिए एक परमानेंट वाच डाग की जरूरत दिल्ली में है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग मिनिस्ट्री में दिल्ली की तमाम प्लानिंग के ऊपर नज़र रखे और उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखे। पीसमील तरीके से यहाँ की प्राबलम् को वाज़ बक्त साल्व करते हैं तो वह साल्व तो होती है लेकिन एक अच्छे ढंग से उन का साल्यूशन नहीं निकलता।

इन शब्दों के साथ मैं फिर राजबहादुर जी को मुबारक-बाद देता हूँ कि वह यह बिल ले आए हैं। इस में दो तीन कानूनी बातें हैं जिन को वह देख लें। एक तो यह कि उन्होंने पावर ली है मोटर वेहिकल्स ऐक्ट के प्राविजनस को सस्पेंड करने की या परमिट्स को सस्पेंड, कैसिल या रिफ्यूज़ करने की, उस में यह देख ल कि आया उन को यह बात उस में डालनी चाहिए या नहीं कि जिस का परमिट कैसिल किया जाय उस को अपार्चुनिटी हीअरिंग की दी जाय। इस को न लिखने से यह हो सकता है कि कल कोर्टस में यह मामला जाय तो कोई दिक्कत पड़ जाय और कोर्टस यह कह दें कि आक्टिरी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले ली है। इस में अपार्चुनिटी फार हीअरिंग भी नहीं प्रोवाइड की गई है।

एक प्राबलम् यह भी है कि दिल्ली की ट्रांसपोर्ट एथारिटी जिस पर दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन का असर है वह पोलिटिकल रीजन्स से यह चाहती है कि दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन के रास्ते में स्कावटें पैदा करे। आज एक अजीब हीले से, बहाने से इल्लीगली, कानून के खिलाफ टैम्पेरेरी परमिट्स ईश्यू करने की कोशिश की जा रही है, किसी नीयत से की जा रही है, कुछ पार्टी का फायदा करने के लिए की जा रही है, तो ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन को पावर होनी चाहिए जिस तरह से पंजाब और यू०पी० में ट्रांसपोर्ट कमिशनर के नीचे वहाँ की ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग भी है और वहाँ की ट्रांसपोर्ट एथारिटीज भी हैं, इस तरह से दिल्ली में भी व्यवस्था की जाय जिससे ट्रांसपोर्ट एथारिटी और रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन के दरमियान कम्पलीट कोऑर्डिनेशन से दिल्ली के लिए पालिसी बना कर उस को एग्जीक्यूट किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : भगत जी, यहाँ कोर्ट्स से थोड़ा माफ़ रखकर बोलते हैं। यहाँ आनरेबल मੈम्बर या मदरस

महोदय कहते हैं। लायक दोस्त तो हाईकोर्ट में कहा करते हैं।

There is a difference between the courts and this House. Hon Members should be careful.

SHRI H. K. L. BHAGAT: I thank you very much for the guidance.

I shall correct myself accordingly. Thank you very much; I am most grateful, Sir.

MR. SPEAKER: I am reminded myself of that atmosphere which I do not like to prevail here also.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (वालियर) : इस का मतलब यह तो नहीं है कि यहाँ सब लायक नहीं है ? ऐसा ख्याल तो नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : लियाकत का तो मुझे नहीं पता, आनरेबल सभी हैं।

\*SHRI E. R. KRISHNAN (Salem): Hon. Mr. Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me an opportunity to say a few words about the Delhi Transport Laws (Amendment) Bill moved by the hon. Minister of Transport. I welcome the setting up of a Delhi Transport Corporation in the Public sector.

I need not stress the vital role of local transport especially in the capital city of the country. As the hon. Members who preceded me pointed out, the population of Delhi is 50 lakhs and it is increasing very rapidly. It is also known that the floating population coming from neighbouring States to attend to their work in the capital is about 25,000 to 30,000 a day. You are also aware that tourists from all over the world make it a point to visit Delhi, as it has historical significance for them. The Government should realise what impression they will carry back home if they happen to see the local people standing in long queues for getting a town bus either

Shri E. R. Krishnan] for coming to their places of work or or going to their residences. It should be appreciated that the rich people as also the moderately well-to-do people have their own conveyances, but for the labourers, working class and the poor people, the city transport is the only means of conveyance for attending to their work. The school going children and the college-going youngsters have also to depend upon the local transport. But, even after 25 years of independence, the Government have not been able to provide adequate transport facilities to the people of Delhi.

You are aware, Sir, that the Centre has been experimenting with different kinds of administrative set-up in the capital. Originally Delhi was a Part-C State with a legislative assembly. Then, Delhi became a Union Territory. The Delhi Municipal Corporation was set up to manage the civic affairs of the capital. For New Delhi area, where the Central Government offices are located, there is the New Delhi Municipal Committee. Some years before the Metropolitan Council was constituted to look after some aspects of the local administration. I have to point out that in the process of carrying out these experiments, the daily needs of the people of Delhi have so far been neglected. I would like to say that at last the Government have come forward with the proposal to set up a Corporation to manage the transport needs of the people of Delhi.

Some hon. Members who spoke before me referred to the loss suffered by the transport undertaking of Delhi. I would narrate here my personal experience. I happened to go to Karol Bagh on some business and I got into a town bus. After paying the fare, I thought that the conductor would give me the ticket. But till I reached my destination, I did not get the ticket and the fare was pocketed by the conductor. I came to know later that this was not a solitary instance, but such a practice had become the order of the day in the transport

undertaking. As I did not know Hindi, I could not argue with the conductor for the ticket. If this kind of practice is allowed to continue, how can the Government expect the transport undertaking to run profitably? I hope that the new Corporation will take effective steps to arrest the growth of such unfair practices. I have also come across instances where the conductors behaved rudely with women and old people. They do not seem to give any respect to the travelling public of the capital. They are interested only in making money.

I would inform the House that in the capital of Tamil Nadu, Madras, we have such an efficient system of local transport that the people have no difficulty at all in moving about the city. The administrative loss is also minimised to the extent possible by the honesty of conductors. I would suggest that the Delhi Transport Corporation now being set up could as well send some of their Officers to Madras to get training there. Similarly, some batches of conductors from Delhi should be sent to Madras so that they can see for themselves how the conductors of Madras discharge their onerous duties and how they behave with the travelling public.

I would also state that no State Transport Undertaking can expect to make profit because it is a public utility undertaking. But the losses which occur on account of the instance I referred to earlier should be avoided by the Delhi Transport Corporation. The administrative machinery of the Corporation should be tightened and the culprits should be punished without mercy. I would also suggest that political parties should not interfere in the administration of public utility establishments. The travelling public should not be held to ransom by interested parties. The Delhi Transport Corporation should also ensure timely running of buses and no trip should be allowed to be missed on some pretty excuse or the other. I am sure that the Corporation will keep service as its first priority and not profits alone. I would

also suggest that the conductors and drivers in Delhi Transport Corporation should be given intensive training in their approach to the travelling public. I am sure that this new experiment will become a success if some of these aspects are given serious consideration by the Government.

श्री बल्लोप सिंह (बाह्य दिल्ली) अध्यक्ष महादय, मैं इस राईट ट्रांसपोर्ट बिल का, जिसे श्री राजबहादुर जी ने दिल्ली के लिये पेश किया है, समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। सब से पहले मैं माननीय सखी जी को बधाई देता हूँ जिन्होंने दिल्ली की बसों की सुसुविधाओं से दिल्ली की जनता को छुड़ाने के लिये डी० नो० यू० को एक कार्पोरेशन में तब्दील करने का फैसला किया।

अध्यक्ष महादय, दिल्ली के नाग पिछले पाच-छ मासों से इन परेशानों में, जिन का कोई हिसाब नहीं था। आप ने भी अध्यक्ष महादय, कभी कभी सबका पर जाते हुए देखा होगा कि दिल्ली के बस-स्टॉपों पर पाच-छ मी की लाइन में नाग खड़े रहते हैं और यह बात देखने रहने है कि जब बस आये और कितनी जल्दी हम उस में चढ़े और जब बस जाती थी तो इतनी अधिक धक्का-मुक्की होती थी कि औरतो और लड़कियों का तो चढ़ना ही मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब मैं यह कार्पोरेशन बनी और हम को टेक-ओवर किया गया, मैं समझता हूँ कि इस के धन्द्वर काफी सुधार हुआ है।

अध्यक्ष महादय दिल्ली की जनता हर साप्ताहिक-या साप्ताहिक के करीब बढ़ जाती है। जैसा आन्टरेक्सिग मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में कहा है इस वक्त कुल 1491 बसें हैं, जिन में से 914 राईट पर हैं और बाकी वर्कसाप में खड़ी हैं। आप धन-राशियाँ लगाइये कि जहाँ 467 बसें वर्कसाप में खड़ी हों वहाँ पर क्या हालत होगी। एक बान और बना दू—इन वर्कसापों की प्राज क्या हालत है। जो भी बस वर्कसाप में जाती है, वहाँ धक्के पुर्खों की निकाल दिया जाता है, उन के धन्द्वर पुराने और निकम्मे किस के पुर्खें भगा दिये जाते हैं। इस लिये मैं सखी महादय को कहना चाहता हूँ कि सब से पहले तो जहाँ जहाँ डीपोड हैं, उन के नाच इन वर्कसापों को डीपुल्लेसिड कीजिये हर डीपो के साथ एक-एक वर्कसाप खोला जाय और वहाँ

पर पूरे तीर से निगरानी रखी जाय।

आम तौर पर यह देखने में आया है कि जो भी बस स्टॉप से डिफिकल्ट के लिये वर्कसाप जाती है, वह कई दिनों तक वापस नहीं आती, इस से यात्रियों को बहुत परेशानी होती है, इस लिये उन की मरम्मत की तरफ खास तवज्जह दी जाय और जल्द से जल्द उनको मरम्मत कर के सड़क पर लाया जाय।

यहाँ पर इस स्टेटमेंट में लिखा गया है कि हर रोज 15942 ट्रिप इन बसा के लगे चाहिये, जब कि 12526 ट्रिप इन बसा के लगत हैं, 3466 ट्रिपों की फिर भी कमी रह जाती है। जाहिर बान है कि अगर इन ट्रिप नहीं लगे तो उन से परेशानी बेगैनी ही। इस लिये हम इस बात की कागिण करनी चाहिये इन 1391 बसों में से जितनी ज्यादा से ज्यादा ठीक हो सक्ती हैं, उन को ठीक कर के सड़क पर लाया जाहिये, 1391 बसें तो हर हालत में चलनी ही चाहिये।

घाटे का एक कारण यह बताया जाता है कि हमारे यहाँ चौबरा का बहुत कमी है। इस के लिये मैं यह दर-न्दास्त करना चाहता हूँ कि हमारा जॉर्वाजलेम रिपोर्टमेंट है, उस को मजबूत करना चाहिये और उस के धन्द्वर धक्के बिम्म में प्रॉफिटर, जॉर्मानदार हो भले हों, उन का रखा जाय ताकि वे मजबूती के साथ चौबरा करे और राजाता टिकटा में जो गबबड़ हानी है उस का रोक जा सके।

अभी कई आन्टरेक्सिग माथियों ने कहा कि दिल्ली की बसों में जा कबड्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उन के बिचियर में बहुत कमी है यह ठीक बात है। हम लोग जब बसों में चढ़ते हैं तो ये देखा है कि अगर कोई बहन बच्चे को गाढ़ म नकर बम में चढ़ जाये तो उसी बहन फटी मांग दी जानी है, जिसका नतीजा यह होता है कि या तो बच्चा मिर जाता है या बच्चे के साथ बह बहन मिर जाती है। ऐसे एक्सीडेंट्स धक्का दिल्ली की बसा में होते रहते हैं। अगर बम में बैठे हुए लोग कुछ कहते हैं तो फौरन कबडर कहना है कि तुम को बालने की जरूरत नहीं है। इस के बारे में मैं मिनिस्टर साहब से कहना कि धर्मी जैसा हमारे एक मद्रास के साथी ने कहा कि उनके लिये एक किसस की ट्रेनिंग क्लास लगाई जाय। उन को बता दिया जाय कि दिल्ली के धन्द्वर सारी दुनिया के लोग रहते हैं, यह एक इन्टरनेशनल सिटी है, हिन्दुस्तान के हर प्रांत के लोग रहते हैं, बिबेस-मिर रहते हैं, नबनमेंट सर्वेन्स

[श्री वसीप सिंह]

रखते हैं जो बसो में सफर करते हैं, उन के साथ बोलने का कैसा तरीका हो, यह बात हम का उन्हें सिखानी चाहिये। लोग एक दफा बसों की बत्ती को बरदाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर उन भा बिहैबियर ठीक नहीं होगा, तो वे इस को बरदाश्त नहीं कर सकेंगे। हम लिये हम का कुछ इन्तजाम कीजिये।

अध्यक्ष महोदय, मेरी कांटीग्रामसी आउटर-दिल्ली है वह काफी लम्बी है, जिस में बहुत से गांव आते हैं, जे० जे० कालोनीज हैं अन्धधोयागइज कालोनीज हैं। दिल्ली के अन्दर आज दुर्भाग्य से जनसभ का एडमिनिस्ट्रेशन है और उन्होंने यह तय किया हुआ है कि नदीब आदमी कहीं नहीं रहता हो, चाहे जे० जे० कालोनी हो या गांव में रहता हो या अन्धधोयागइज कालोनी में रहता हो उन के यहाँ बस नहीं भेजेंगे। जे० जे० कालोनी के लोगों का दिल्ली से 15-15 मील के फासले पर ले जाकर डाल दिया गया है उन को रोजगार के लिये शहर आना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से कहूँ कि उन के लिये खाम तौर से कोई इन्तजाम किया जाय ताकि उन लोगों का आसानी हो सके।

एक बात यह कहना चाहता हूँ और हम के लिये ध्यान रखना होगा कि एक बस 90 हजार रुपये की आती है। एक आदमी अगर कोई अपनी बस चलाता है तो कितने ही सारा उसका चलाता है लेकिन हमारी बसेज जो हैं वह एक माल के बाद ही बल्कि 6 महीने के बाद ही धुआँ छोड़ने लगती है और खराब हो जाती है। इसके लिए मैं एक तबदील रखना चाहता हूँ कि जो गाइडर अपनी ड्यूटी खत्म करे और ड्यूटी खत्म करके बस डिपो में छोड़ने जाये उस वक़्त दूसरे गाइडर को बाकायदा उसका चार्ज दे और सब चीज ठीक है इसको लिखकर दे ताकि बसेज की कम्प्लेन ठीक रह सके।

इतना ही कहकर आपकी धन्यवाद देते हुए अपनी भाषण समाप्त करना हूँ।

श्री० लक्ष्मीनारायण लाल • अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा के दौरान दो चीजें आते आईं जोकि मेरे मत में सम्मिलित हैं यहाँ पर प्रस्तुत की गई। निगम बनाने का बहुत बड़ा सवाल है उसके बारे में जो बकायें प्रकट की गई हैं वह सही हैं क्योंकि आम लोगों के जो इस

प्रकार के निगम बनाए गए वहाँ पर घाटे की स्थिति देखी गई। जैसा मैंने पहले निवेदन किया निगम बनाने के बाद यद्यपि सरकार सहायता जरूर देती है परन्तु घाटा कभी पूरा नहीं होता वह बढ़ता ही चला जाता है। इसके प्रतिरिक्त निगम बनाने के बाद वह उत्तरदायित्व भी नहीं रह पाता है जिसकी अपेक्षा की जाती है जैसा कि विभिन्न सड़क परिवहन निगमों की व्यवस्था में देखा गया है। बंगाल का यहाँ पर जिन किया गया। मध्य प्रदेश में भी ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था है। वहाँ जब तक निगम नहीं बना या घाटा कम था लेकिन निगम बनने के बाद घाटा निरन्तर बढ़ता चला गया है। बसेज की दशा इतनी खराब हो गई कि लोग उन पर चढ़ना भी पसन्द नहीं करते। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर भी पैदा हो जाये।

इसके साथ ही यहाँ उन दो तीन महीने की स्थिति में हमने देखा कि सरकार द्वारा धन में हाथ में लेने के बाद ऐसा नहीं मानूँ होता कि इसकी व्यवस्था में कोई सुधार आया है। आज भी बसेज में वही बीड भाड़ है, वही परसानी है, समय पर बसेज नहीं मिलती है। इन सब बातों का देखते हुए ऐसा नहीं दिखाई देता कि निगम बनाने के बाद कोई नया काम किया गया है। करोड़ों रुपये के अनुदान दिए गए हैं लेकिन बसेज की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। जनसभ व्यवस्था का सुधारना चाहती थी, इस सब में उसने कुछ कदम भी उठाए थे, कुछ काम भी किया था कुछ व्यावहारिक मुद्दाय भी दिए थे घाटे को बन्द करने के बारे में, कुछ भूतपूर्व सैनिकों की कोष-पेन्टिब सोसायटीज को पेंशन देकर सुधार लाने का प्रयत्न किया था और इन प्रकार कुछ सुधार हुआ था तथा निरन्तर आये सुधार होता चला जा रहा था। निगम बनने के बाद जो दुर्व्यवस्थाएँ आती हैं उनके बारे में जो ध्यान भावनाएँ और शिकायतें हैं वह सही हैं। इन सब के साथ मैं फिर दोहराना चाहूँ कि इस प्रकार का अध्यादेश और उसके बाद विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

SHRI RAJ BAHADUR Sir, I am grateful to the hon Members who have welcomed this measure I would be very brief, for want of time

A point has been made by Mr Mohamad Ismail about corruption We are already aware of some malpractices and

irregularities, etc., and we are tightening up discipline. In fact, disciplinary action has been taken even in this short period against quite a few. More than 100 employees have been suspected of some irregular or undiserable practices, and they have been put under suspension. This vigilance has given a good toning up to the administration. The income has also increased on account of that. A Traffic Superintendent, Vigilance, is already there to attend to intensive checking. A Public Relations Officer has been appointed to see that misbehaviour is minimised or eliminated altogether. There are some suggestions which Members have made and which I shall bear in mind to the extent possible.

Mr. Banerjee has said that a representative of labour should be put on the management. We shall certainly consider that suggestion and try to implement it as much as possible.

Mr. Bhagat has spoken about the creation of transport zones and the rationalisation of routes and services. I completely agree with him. This is something which has really to be done and his suggestion is one which should be seriously considered by the management of Delhi Transport Corporation. He has also spoken about the traffic that runs pell-mell in the country's capital, consisting of all types of vehicles, the trucks and thelas and other vehicles just going together. It is a very large question, but at any rate, this being the country's capital and the pride of the nation, it deserves our urgent attention. Consistent with our financial resources, we will try to attend to this problem as best as we can. It requires vast amounts of investment to have fly-overs and expressways to clear up the traffic smoothly. We should try to substitute thelas with other mechanically propelled vehicles and rickshaws with taxis. All these things require investment. He spoke about the construction of some bridges across the Jamuna. I take particular notice of the suggestion he has made about neglected areas, about augmentation of

services, etc. He spoke about the juggi-jhompri areas, poorer sections of the people living across the Jamuna. We have taken notice of it and to the extent possible and within the resources and fleet available to us, we shall try to meet the requirements. Mr. Pandey has said that no improvement was there. I have not claimed; we do not pretend to have a magic wand with us. We have tried to effect some improvement but what has been destroyed or spoilt over a number of years will take at least some months, if not years to improve.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: 24 years.

SHRI RAJ BAHADUR: We know that slogan. But I have to finish in time and I do not want to indulge in repartees. If you take a one-sided view, nothing has been done in 24 years. If you take the resounding victory of our Armed forces for this country in the recent 14-day War it is in itself a testimony to what we have achieved in 24 years. Mr. Bhagat also invited our attention to the Third Schedule or the part which empowers the Central Government to suspend or cancel any permit granted. Since this power has been given not to the Corporation but to the Central Government, it could be expected and I can assure him that these powers will be exercised after due compliance with the principles of natural justice. With these words I commend the motion.

श्री एच० के० एल बगल : जमुना पर ब्रिज बनाने के बारे में क्या सोच रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : यह दूसरा सवाल है। इनके बारे में नोटिस दिये तो जवाब दिया जा सकता है।

श्री मोहनचंद्र इत्याहल : विजिलेन्स के सवाल के बारे में नहीं बताया ?

श्री राज बहादुर : मैंने बताया है। हमने एक ट्रॉफिक सुप्लायमेंट, विजिलेन्स बताया है।

MR. SPEAKER: The question is:

"This House disapproves of the Delhi Road Transport Laws (Amendment)

[Mr. Speaker]

Ordinance, 1971 (Ordinance No. 21 of 1971) promulgated by the President on the 3rd November, 1971."

*The motion was negatived.*

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill to provide for the establishment of a Road Transport Corporation for the Union territory of Delhi, and, for that purpose, further to amend the Road Transport Corporations Act, 1950, and the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

MR. SPEAKER: The question is:

"That clauses 2 to 8, First Schedule, Second Schedule, Third Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clauses 2 to 8, First Schedule, Second Schedule, Third Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI RAJ BAHADUR: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted.*

MR. SPEAKER: We will now take up the Private Members' business.

11-30 hrs.

#### UNION TERRITORIES SECONDARY EDUCATION BILL\*

SHRI SAMAR GUHA (Contai):

I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for better organisation and development of secondary education in the Union territories specified in the First Schedule to the Constitution.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for better organisation and development of secondary education in the Union territories specified in the First Schedule to the Constitution."

*The motion was adopted.*

SHRI SAMAR GUHA: I introduce the Bill.

#### CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL\*

*(Amendment of article 74 and insertion of new articles 74A, 74B, etc.)*

SHRI FATESINGHRAO GAEKWAD (Baroda): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted.*

SHRI FATESINGHRAO GAEKWAD: I introduce the Bill.

11-31 hrs.

#### RE. CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

*(Insertion of new sections 250A, 250B, etc.)*

MR. SPEAKER: Shri Amar Nath Chawla.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): The Code of Criminal Procedure is under the consideration of the Joint Committee of the two Houses, and I request the Hon. Member not to introduce this. The Joint Committee would consider his suggestion. I have

\* Issued in Gazette of India Extraordinary part II, section 2, dated 17-12-71.

made a request to the hon. Member, and I would suggest that this Bill need not be introduced.

**SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) :** Let him ask for leave to introduce the Bill and then the Minister can object. When there is no business before the House, the hon. Minister cannot get up and object.

**MR. SPEAKER:** There is nothing wrong if the hon. Member does not get up after listening to the hon. Minister.

**SHRI AMAR NATH CHAWLA (Delhi Sadar):** In view of the assurance of the hon. Minister, I do not move the motion.

11.32 hrs.

# **FREEDOM FIGHTERS (APPRECIATION OF SERVICES) BILL**

By *Prof. Shibban Lal Saksena*—contd.

**MR. SPEAKER:** The time allotted for this Bill is 2½ hours, we have already taken 2 hours and 4 minutes. Shri Jharkande Rai may continue his speech.

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) :** अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाये। मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार कर लें ताकि विचार-विनिमय के दौरान सारी बातें आ जायें। माननीय सदस्य भी अपना विचार प्रकट करना चाहेंगे। अगर सेलेक्ट कमेटी में यह जायेगा तो इस का मौका मिल जायेगा। मैं नहीं समझता कि कोई भी इस के सिद्धान्त का विरोधी होगा।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : मित्रों से हमें कोई विरोध नहीं है। हम सब कुछ जानते हैं और हाउस की राय भी हम को मालूम है।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) :** क्या श्री राय आने से बद्दहजमी हो जायेगी ?

**अध्यक्ष महोदय :** मैं श्री मिश्र से कहना चाहता हूँ कि बद्दहजमी शब्द अन्तर्पालियामेंटी तो नहीं है,

लेकिन इस का इस्तेमाल बहुत दुरुस्त नहीं मालूम होता।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** अगर वह अंग्रेजी में इनडाइजेशन कहते तब इस को आप बुरा न कहते।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र :** मैं नहीं मानता कि इस में कोई बुरी बात है।

**SHRI F. H. MOHSIN:** We know the intention of the whole House. People from both sides of the House have spoken. Not that we are unaware of the feelings of the members. It is not necessary that it should go to a select committee.

**SHRI R. S. PANDEY (Rajnandgaon):** I support Mr. Vajpayee's suggestion. If it goes to the select committee, some comprehensive recommendation may come out of it. Otherwise, it is a private member's Bill and its fate is well known. It will be defeated.

**SHRI R.V. SWAMINATHAN (Madurai):** I agree with Mr. Pandey.

**MR. SPEAKER:** But there is no substitute motion for referring it to a select committee.

**SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:** I will move it now. You can waive the rule. This is an emergency period.

**SHRI F. H. MOHSIN:** I do not want it to be defeated. I would request him to withdraw his Bill.

**MR. SPEAKER:** Are you in a position to accept the Bill or not?

**SHRI F.H. MOHSIN :** We basically accept the intention behind the Bill.

**MR. SPEAKER:** If you are going to oppose this Bill, we can ignore the suggestion about select committee.

**SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) :** Let the minister intervene now, so that the other speakers may have the benefit of knowing the mind of the Government.



**MR. SPEAKER:** Once I call on the minister to speak, I will not be able to allow any other speaker.

**SHRI SAMAR GUHA (Contai):** The whole House has expressed almost unanimous opinion that the spirit of the Bill should be carried out. Here and there certain changes may be necessary. For that, the suggestion of Mr Vajpayee may be accepted. The difficulty is, if the minister says he will not accept it, the Bill will fall through.

**MR. SPEAKER:** He has already indicated it. If you want, we can have more time for this Bill.

How much time do you want?

**SOME HON. MEMBERS:** Two hours more.

**MR. SPEAKER:** All right; two hours more.

Shri Jharkhande Rao to continue his speech

**श्री ज़ारखंडे राव (बोस):** मैं पिछली बार कह रहा था कि हिन्दुस्तान की पहली आजादी के सब से बड़े विपारी हवलदार बहादुर शाह जफर को कब रगन के पास बियावान जंगल में बनी हुई है। उसके सामने नेता जी मुभाय चन्द्र बोस ने प्रतिज्ञा की थी कि जब भारत स्वतन्त्र होगा तो उसकी मिट्टी सम्मान भारत लाई जाएगी और वास जिनके वे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसको बकनाया जाएगा। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि नेता जी की उस प्रतिज्ञा को वह पूरा करे।

उसी तरह से नेता जी मुभाय चन्द्र बोस ने प्रदमान के पोर्ट ब्लेयर जेल के सामने जा कर 1948 में इस बात की प्रतिज्ञा की थी कि जब हिन्दुस्तान आजाद होगा तो पोर्ट ब्लेयर में बहीदों का एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा, उस जेल को तोड़ कर वह बहीद-स्मारक बनाया जाएगा। हिन्दुस्तान के चुने हुए सैकड़ों शानदार क्रांतिकारी, तपस्वी, स्थायी और स्वतन्त्रता के सेवामी वहाँ कबूँ रहे हैं और तरह-तरह की यातनायें उनको सहन करनी पड़ी हैं। मैं चाहता हूँ कि नेताजी की उस प्रतिज्ञा को भी भारत सरकार को पूरा करना चाहिये। स्वतन्त्रता की खातिर घर बैठे बने एक महान वैभवशाली, एक महान क्रांतिकारी में आ प्रतिज्ञा की थी, उसको पूरा किया जाना चाहिये।

उसी तरह से 1908 में बीर साबरकर के एक प्रमुख शिष्य मदन लाल डीगरा ने लन्दन में कर्नल बाइली का बघ किया था जोकि हिन्दुस्तान के विद्या-धियों और अन्य क्रांतिकारी युवकों पर खुफिया-गिरी किया करते थे। ऐसा बघ करके डीगरा ने उचित ही किया था। उनकी कब्र लन्दन में बनी है। उस पर एक पत्थर है, जिस पर लिखा है कि एक दिन ऐसा भी आया जब हिन्दुस्तान के विद्यार्थी और नौजवान हमारी मिट्टी को हिन्दुस्तान न जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि उस भावना का भी प्रादर किया जाए।

दिल्ली में कुछ दिन पहले एक पुराना सिट्टन जेल था। उसको तोड़ कर घाज आजाद महिबल कोलेज उसी स्थान पर बना दिया गया है। उसके विषय में हिन्दुस्तान के सभी क्रांतिकारियों ने एक सम्मेलन में इस बात की मांग की थी कि उस जेल को क्रांतिकारियों के मैमोरियल की शक्ल दे दी जाए, एक शहीद स्मारक यहाँ बनाया जाए। लेकिन सरकार ने उस समय, जब यह सब पड़ित गाँवधन बल्लभ पन्त थे, इसको स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद क्रांतिकारी सम्मेलन की ओर में यह मांग रखी गई थी कि मैमोरियल कालज अगर बनता है तो उसके मुख्य गेट के सामने एक स्मारक बनाया जाय क्रांतिकारी शहीदों का। लेकिन भारत सरकार ने उसको भी टुकरा दिया। यह उस समय की क्रांतिकारी विरोधी प्रवृत्ति का परिचायक है।

दिल्ली में 1912 में लाहं हाउस के हाथी पर राम बिहारी बोस के नेतृत्व में बम फेला गया था। यह उस समय छुपा था जब लाहं हाउस कलकत्ता के बाहर दिल्ली का भारत की राजधानी के रूप में बदलने के बाद शानदार तरीके से जुलूस में चल रहे थे, और उसका विरोध भारतीय क्रांतिकारियों की तरफ से किया गया था। उस घटयन्त्र में तीन क्रांतिकारियों को फासी दी गई थी। वे थे मास्टर धर्मो चन्द, बाल मुकुन्द और अवध बिहारी। ये तीन क्रांतिकारी उन्नी जेल में रहे और उनका वही फासी भी दी गई थी।

-

भरदार अवत सिंह का कौन नहीं जानता? जहाँ हम बैठे हुए हैं यह बड़ी स्थान है जहाँ अश्वेजी-वास्तवा युग में मैट्रल प्रसिद्धि लुप्त करती थी। यहाँ पर भगतसिंह और बटुकेश्वर ने बम फेंका था। वह एक ऐतिहासिक दिन था। वह कार्य ऐतिहासिक घुट्टे द्वारा किया गया था और ऐतिहासिक स्थान पर किया-

गया था। उन दोनों को भी उसी दिल्ली सैन्ट्रल जेल में बन्द किया गया था। इन सब बातों को देखते हुए उन शहीदों का श्राद्ध किया जाना चाहिये। देर से ही सही, लेकिन अब भी समय है जब हम उनकी भावनाओं का श्राद्ध कर सकते हैं। आजाद मेडिकल कालेज के मामले एक शानदार प्रस्तर मूर्ति या किसी और प्रकार का कोई स्मारक शहीदों की याद में बनाया जाय।

इस बिल में श्री सक्सेना ने जो सुझाव तरमीम की शक्ल में दिए हैं, उनका मैं समर्थन करता हूँ, एक बात का छोड़कर। उन्होंने स्वतन्त्रता मैनिफेस्टो का जमीन देने की बात कही है। उसका मैं विरोधी तो नहीं हूँ लेकिन उस में मैं यह तरमीम करना चाहता हूँ कि जिन स्वतन्त्रता सेनानियों के पास जमीन है या उनके परिवार वाला के पास जमीन है, उनको जमीन हर्गिज न दी जाए। मैं भी स्वतन्त्रता सेनानी रहा हूँ लेकिन मेरे पास घर की जमीन है। मुझे क्या जमीन दी जाए? केवल जो बेजमीन हैं या जिनके पास भलाभकर जात हैं, उनको जमीन दी जाय। बाकी जो सुविधायें हैं तरमीम की शकल में पेश की गई हैं, वे दी जायें और उनका मैं समर्थन करता हूँ।

आजाद हिन्द फौज वाले भी स्वतन्त्रता सेनानी रह चुके हैं। उस में हिस्सा लेने के लिए जो जीवित हैं या जो मर गए हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनको भी हर तरह से बड़ी सुविधायें मिलनी चाहियें जो अन्य आजादी के सेनानियों को मिल रही हैं या मिलेंगी। इसी प्रकार आर.आई.एन. यानी जिन लोगों ने 1946 फरवरी में हिन्दुस्तानी नवी में बग़ावत की थी, उनको भी ये सुविधायें मिलनी चाहियें। 18 फरवरी, 1946 को उन्होंने बग़ावत की थी और उसकी ध्वज से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जड़े हिल गई थी। यह प्राप्तिरी छोड़ दी। 21 फरवरी को 72 घंटे के भीतर ब्रिटिश शासिमण्ड में घोषणा हुई थी कि हिन्दुस्तान स सम्झौते की बातचीत करने के लिए सर स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स की रजिमेंट में एक मिशन भारत जाएगा। बग़ावत के ठीक 72 घंटे में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जूनें हिल गईं। उन लोगों की भी आजादी के लिए लड़ने वाले शिपाही माना जाए। जो अधिकृत हैं उनको और जो मर चुके हैं उनके आश्रितों को भी ये समान सुविधायें दी जानी चाहियें।

इस विषय में हिंसा, अहिंसा, आत्मिकारी गैर-आत्मिकारी कालेजी या गैर-कालेजी आदि का कोई

भेदभाव नहीं होना चाहिये। जगें आजादी सब ने एक ही मकसद के लिए लड़ी और वह था कि हिन्दुस्तान आजाद हो। कई लोगों ने आत्मिकारी रास्ता अपना कर अपने तौर पर इसका प्रयास किया। अपनेको ने कावेम और गांधी जी का रास्ता पकड़ा। बहुतांश ने नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के रास्ते को पसंद किया। मुख्यतया भारत में तीन रास्ते अपनाये गये। सब का लक्ष्य एक था। वह यही कि हिन्दुस्तान को पूर्ण स्वतन्त्रता मिले। इस बास्ते इन में किसी प्रकार का कोई भेद हर्गिज नहीं होना चाहिये। यह बात मैं बल दे कर कहना चाहता हूँ।

कुछ और मामले हैं जिनका मैं सरकार के सामने लाना चाहता हूँ। उन में से कुछ लज्जाजनक बातें भी हैं। श्री चन्द्र सिंह गडबाली का कीन नहीं जानता। वह ऐतिहासिक पुरुष हैं। पेशावर में, खा भद्रगुल गफ्फार खा के क्षेत्र में, 1930 में गोली बाँध हुआ था जिस में सारे हिन्दुस्तान को हिला दिया था और इनलिये जलियावाला बाग के बाद भारतीय स्वतन्त्रता सप्राम के इतिहास में इमका नम्बर आता है। उस में चन्द्र सिंह गडबाली ने, जब उनको जन्मा और प्रबंधन-कारियों को शूट करने का हुक्म दिया गया तो उन्होंने और उनकी टुकड़ी ने शूट करने में इन्कार कर दिया था। उस वीर चन्द्र सिंह गडबाली को जो पेंशन अब दी जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या केन्द्र की तरफ से, वह इतनी कम है कि लज्जा धाती है उसको देख कर, घृणा होती है। ऐसे वीर सेनानी की महात्मा गांधी ने प्रशंसा की थी और उनका समर्थन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऐसे ऐतिहासिक पुरुष का जो महायत्ना दी गई है वह नगण्य है। उसको सुधारन की आवश्यकता है। पूरी सहायता उनको और उनके आश्रितों को दी जानी चाहिये।

इलाहाबाद मण्डलपरेट पार्क का नाम बदल कर मोतीलाल नेहरू पार्क कर दिया गया है। यह वह स्थान है जहाँ 27 फरवरी, 1931 को आत्मिकारी सेनानी चन्द्र शेखर आजाद ने अखेजी साम्राज्यवाद की पुलिस से आमने-सामने मुकाबला किया था। हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में बहुत कम आत्मिकारी ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस तरह से आमने-सामने मुकाबला करके अपने प्राणों कीर्तिमान किया हो। उसके नाम पर इन पार्क का नाम आजाद पार्क रखा जाना चाहिये। ४० मोती साब नेहरू का मैं भी बहुत हूँ। उनके मरण पर हिन्दुस्तान में हलाकौ साजवार की कीर्ति बनी

[श्री भारद्वाज राय]

हुई हैं। उपरीष्ठ मांग बहा की जनता ने की थी। इस बारे में उदारता का भाव दिखाना चाहिये और उस पार्क का नाम आजाद पार्क रखा जाना चाहिये ताकि श्रानिकारी-स्मृति बनी रह सके।

मैं यह भी चाहता हूँ कि स्वतन्त्रता सेनानी चाहे हवालात में रहे हों, सब्जा पास्ता रहे हा या फगरो की तरह से रहे हों, सब का बिना भेदभाव के स्वतन्त्रता सैनिक माना जाना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि जो जेल गए हों या जिन को सजा हो गई है, ऐसे लोगों को ही हम श्रेणी में रखा जाए। जिन का सजा नहीं हुई और सजा हाने से पहले ही वे किसी कारण से छोड़ दिये गए हैं, उनको भी हम श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिये।

अगस्त, 1942 में जा विद्रोह हुआ था उस में हमारे उत्तर प्रदेश के एक नीजवान को पाली पर लटका दिया गया था। उनका नाम श्री राज नारायण मिश्र था। वह भूरा राधी थे और हम एक साथ लखनऊ जिला जेल में थे। साथी राघवनाथ मिश्र को 9 दिसम्बर, 1944 को फांसी दी गई थी। मैं भी उस समय उमरी जेल में बन्द था। उनके दो बच्चे और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जिन्हावती देवी के साथ आज जो व्यवहार किया जा रहा है बन्द या राज्य सरकार की ओर से यह निररकार भाव है। उसको देखकर गुस्सा आता है। दुःख होता है। ऐसे लोगों के त्याग और बलिदान की वजह से ही आज हम को यह स्वतन्त्रता का दिन देखने को मिला है। उनका गमूचित आदर होना चाहिये।

जो व्यक्ति स्वतन्त्रता-सेनानी रहा है, उस को, अथवा उस की पत्नी या पुत्र-पुत्री को या पूर्णतया आश्रित व्यक्तियों को तब तक सहायता देनी चाहिए, जब तक वे जीवित रहे या जब तक वे स्वावलम्बी न हो जायें।

1857 का स्वतन्त्रता-संग्राम हमारी पहली जय-झांडावादी थी। उस समय बहुत से देश-द्रोहियों को बड़ी बड़ी जमीनें, रियासतें और इनाम दिये गये थे। आज उन के बच्चे हिन्दुस्तान के बहुत आदर के स्थानी पर भी हैं और ऐसे कुछ लोग कुछ बन्धो भी हैं। अगर हिन्दुस्तान भर के मजिदों को लिस्ट देखी जाये, तो मुश्किल है कि उन में ऐसे लोग हों जिन के बाप-बापों ने 1857 की जय-झांडावादी में गहरी की थी। ऐसे

लोगों से तमाम जमीनें, रियासतें और इनाम वापिस लिये जाने चाहिए और उनका बदबारा स्वतन्त्रता सैनिकों में कर दिया जाय। ऐसा न करने का अर्थ होगा कि सरकार गद्दारी की हिकायत करना चाहती है।

यू०पी०, गोरखपुर में मरदार नगर में सरदार साहब (गुन्दर सिंह मजीठिया) की दो फैंटरीज और एक फार्म हैं। इन के बाप-दादाओं ने 1857 में गद्दारी की थी। बागी राजाओं की रियासतें छीन छीन कर गेले लोगों का उन दिनों दी गई थी। उन का वापिस लेना चाहिए। हिन्दुस्तान भर में ऐसी जो जमीनें आदि हैं, वे वापस ले कर देशभक्ताओं की जायें।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है। बहा पहले स्वतन्त्रता सैनिकों को 20 से 65 रुपये तक पेन्शन दी जाती थी। श्री कमलार्पण त्रिपाठी की मौजूदा सरकार ने उस पेन्शन को धनराशि बढ़ा कर 60 से 100 रुपये तक कर दी है। मैं इस की तारीफ करता हूँ। लेकिन, जैसा कि इस बिल में बहा गया है, किसी आजादों के सिपाहों को भी 100 रुपये मासिक से कम न दिया जायें।

पश्चिमी बंगाल की युनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने वर्ष स्वदेशी, चौराहा और पार्क आदि का नाम परिवर्तित कर के हिन्दुस्तान की जय-झांडावादी के सिपाह-सामरों और पुराने पालिकाओं के नाम पर रख दिया है। वनबन्ता में इलहाबादी स्वयंसेवक एक मशहूर जगह है। उस का नाम बदल कर जंगल लोगो के नाम पर, जिल्हान टैक्स-जलनर आफ जेल, कनेल मिम्पसन, का गोली से मारा था, बिनय-बादरा-बिनेस चौराहा रख दिया है। उनी तरह से, सारे भारत में जितने भी ऐसे स्थान हों, या अश्रेष्ठों के नाम पर हैं, उन के नाम बदल कर हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के नाम पर रखे जाने चाहिये, जहाँ वे श्रानिकारी रहे हों, कायेसी रहे हों या सुभाषचन्द्र बोस के साथ काम करने वाले रहे हों।

इस बिल की मूल आत्मा का ही समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि व्यावहारिक रूप से इसका समर्थन करना चाहिए, और ठीक कदम उठा कर हमारे स्वतन्त्रता-सेनानियों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए और इस प्रकार उन लोगों या उन के आश्रितों को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दिया जायें।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

SHRI N. K. P. SALVE (Betul) : On a point of information, Sir. Are you admitting the Motion by waiving the rules? Are you admitting the Motion for constituting a Select Committee?

MR SPEAKER: That is too late.

SHRI N. K. P. SALVE : May I know, Sir, are you admitting or not, by waiving the rules?

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: There is demand for this from the other side of the House also; the House unanimous.

SHRI N. K. P. SALVE: If you admit, I have a suggestion to make on this. This Minister has admitted, without disclosing his mind...

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore). How can he admit, without disclosing his mind?

SHRI N. K. P. SALVE : That is on the assumption that my hon. friend has won and on the assumption that the hon. Minister has a mind. Anyone who has a mind will always be with the spirit of the Bill. So, I would like to come forward with this suggestion. If the hon. Minister could assure us that Government will bring forward a measure of their own accord, then in that case, it will be a very amicable settlement. Otherwise, we are likely to be put in an embarrassing predicament on the motion of Shri Atal Bihari Bajpayee, because for long we have paid lip-service to our martyrs and it is time that we do something to them...

MR. SPEAKER: I did not allow him to speak.

SHRI N. K. P. SALVE: It is not a speech, but it is a sensible suggestion, and sometimes you should entertain some sensible suggestions also.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अपना संशोधन पेश करने की इजाजत दें।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: It is the unanimous wish of the House. It is the unanimous request of the House.

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी इजाजत दे देता हूँ, लेकिन इससे आपको क्या कानसोलेशन होगा ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मायद भव भी मंत्री महोदय बुद्धिमत्ता से काम लें।

अध्यक्ष महोदय : दोनों तरफ बुद्धिमत्ता से काम ले।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह भव इन्कार नहीं कर रहे हैं। वह फिर से विचार कर रहे हैं।

श्री एफ० एच० मोहसिन : ऐसी बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उनकी "हां" में भी इन्कार है।

What is the consensus of the House?

SEVERAL HON. MEMBERS: Notice may be waived.

MR. SPEAKER: The consensus is that this motion should also be discussed along with the motion for consideration. All right, let it also be moved. But what consolation will the Hon. Member get out of this? The Hon. Minister is not accepting it.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अपना संशोधन पेश करने दीजिए। नामों के बारे में मेरा आपत्त नहीं है। मंत्री महोदय जो भी नाम बतायेंगे, हमें उन पर ऐतराज नहीं होगा।

MR SPEAKER: The Hon. Minister is not agreeable to any proposal for a Select Committee.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप कल को येव कर दीजिए। तब मदन के सामने मेरा संशोधन पेश जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कर दिया है - कान्संस लेकर कर दिया है। अगर इससे आपको तसल्ली होती है, तो मुझे क्या एतराज होगा ? लेकिन अपने धर्म-मैंट को बिक्रीत कराकर आपको क्या तसल्ली होगी ?

डा० गोविन्द वाला (बबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, जब मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा

[डा० गोविन्द दास सेठ]

हुआ, तो मुझे पहले जो महासच अपना भाषण कर रहे थे, आपने उनको मगम दिया। यह बिल्कुल उचित बात थी। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैं इस मामले में शर्मा से सरकार के साथ बात कर रहा हूँ, लड़ाई तक कर रहा हूँ।

12 hrs.

[Mr. DEPUTY SPEAKER *In the Chair*]

मैं समझता हूँ कि आजादी मिलने के बाद दो युग बीत जाने पर भी हमने और हमारी सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है। कुछ प्रान्तों में जरूर काम हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश की बात हमने सुनी। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। वहाँ भी कुछ काम हुआ है। लेकिन जो काम हुए हैं, वे धन्य धन्य तरह के हैं। किसी प्रान्त में किसी तरह का काम हुआ है और किसी प्रान्त में किसी तरह का। किसी प्रान्त में सतोषजनक काम हुआ है और किसी में असतोषजनक काम हुआ है।

यह प्रश्न प्रान्त का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न आखिल भारतीय प्रश्न है और सचमुच में यह खेद की बात है कि इतना समय बीत जाने पर भी भारत सरकार ने सम्पूर्ण भारत को दृष्टि में रखकर इस सबब में अब तक कुछ नहीं किया। सन् 1914 और 1939 के युद्धों का हमने बहिष्कार किया था लेकिन आज भी जिन लोगों ने सन् 1914 और 1939 के युद्धों में भाग लिया उनको पेंशन दी जाती है। स्वराज्य के बाद उन पेंशनो को तत्काल बन्द किया जाना चाहिए था। यह बात नहीं की गई और आज तक उन लोगों को पेंशन मिलती है। अर्थात् स्वतंत्रता संधि के सैनिकों का सबब है दो प्रश्न आपके सामने हैं। एक प्रश्न है उनके सम्मान का और उन २५५ में हम जो कुछ कर सकते हैं वह हमें करना चाहिए। अभी तक हमने नहीं किया है। दूसरा प्रश्न है उनको आर्थिक सहायता देने का। इस सबब में भी हमने जो कुछ करना चाहिए वह हमने नहीं किया है। इसलिए श्री शिबन्ध दास जी सस्सेना का जो विधेयक है और उस पर उनके जो सुझाव हैं उन सबका मैं हृदय से समर्थन करता हूँ। जहाँ तक सरकार का मामला है हमारे मंत्री जी ने इस बात को तो स्वीकार किया कि इस सबब में सारे सदन की एक राय है और उस राय से वह सहानुभूति रखते हैं। लेकिन सहानुभूति रखने से तो काम नहीं चलेगा। सहानुभूति रखते हुए तो उनकी आधे 24 मघ बीत गए और 24 वर्षों के बाद भी प्रश्न वैसे का वैसा धमक रहा है जैसे आधे से पहले धमक रहा था। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी आता कि देश की राय

के लिए भेज दिया जाय। यह बड़ा बलत प्रश्न है। मैं कहना चाहता हूँ जिन विधेयकों को हम खत्म कर देना चाहते हैं उनको इस प्रकार से पब्लिक प्रोपिनिबन के लिए भेजा जाता है। जहाँ तक सेलेक्ट कमेटी का मामला है मैं बहुत दूर तक बाजपेयी जी से सहमत हूँ। मेरा खुद का यह कहना है कि हमने प्रश्न इसके अंतर्गत है कि इस सारे सदन में हम जिस में इसी रूप में कुछ कर सकना संभव नहीं होगा। इस लिए इसके लिए एक सेलेक्ट कमेटी बना दी जाती है और यह विधेयक तथा उसके सबब में सुझाव उस सेलेक्ट कमेटी के सामने भेज दिए जाते हैं तो बहुत धपछी बात होगी। सेलेक्ट कमेटी में पूरे तौर पर व्योरे में इस सारे की जाच हम लोग करने और जाच करने के बाद इस सबब में कुछ कर सकेंगे।

इस सबब में यहाँ पर एक बात और कही गई, सत्ये साहब ने कहा कि अगर सरकार स्वयं इस प्रकार का कोई विधेयक ले आए, सब बातों पर विचार करके, जो कुछ सदन में कहा गया है, जो कुछ सदन के बाहर कहा गया है उन सब बातों पर विचार करके एक व्योरेवार विधेयक सरकार ले आए तो जिनको यह विधेयक पेश किया है, मन्सेना साहब ने, उनसे मैं कहूँगा कि वह इसको वापस ले ले। सरकार यदि इस प्रकार का वादा करती है और यह वादा करती है कि हमने अधिवेशन में यह विधेयक वह ले आएगी तो सस्सेना साहब को हम सबब में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि वह अपने विधेयक को वापस ले लें। हम प्रश्न को लटकते हुए काफ़ी समय बीत गया है। सरकार इस सबब में कुछ नहीं कर सकती है। जिन प्रान्तों में कुछ हुआ है वहाँ भी अधूरा हुआ है। दो प्रश्न इसके साथ में हैं। पहला तो यह कि स्वतंत्रता संधि के सैनिकों का हम उचित सम्मान करें और दूसरा यह कि उनको और उनके कुटुम्ब की आर्थिक सहायता करे। उन दोनों पर विचार करके सरकार इस सबब में कोई विधेयक रखना चाहती है तो माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन दें कि हमने अधिवेशन में यह विधेयक आया। उस समय मन्सेना साहब इस विधेयक को वापस ले लेंगे। या फिर जैसा बाजपेयी जी ने कहा इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज देना चाहिए। अगर वह दोनों बातें नहीं होतीं तो यह एक दूसरा धर्म होगा कि एक विधेयक इतने दिनों के बाद बड़ी सुविधा से गैरसरकारी सबब की तरफ से आया भी तो उसकी भी हम इस तरह से जाने दें। इसलिए इस विधेयक का और हम सुझावों का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ।

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar): Sir, since the last one

year, our country is undergoing changes in many spheres, and it has become a year of victories and on the 16th December, 1971, that is yesterday, India emerged as one of the great liberating forces in the Asian horizon. Today, when we pay glorious tribute to the valiant freedom-fighters of Bangala Desh and all the other freedom-fighters and the brave armed forces of our country, this is a great moment which brings to our mind the sufferings and privations of all our freedom-fighters of earlier years, in all the liberation struggles which were carried out for achieving our own independence in 1920-21, 1930-31, and in 1942 days. There was also the great naval muntiny which took place just before the independence of our country and also great fight which was carried on by the INA soldiers, under the command of Netaji, who fought for India's independence.

Besides these, there were other liberation struggles which were carried on in the ex-State areas, those princely States. In Orissa, we had one of the biggest struggles in the Ranpur State; because of the provocation and oppression of the British political agent Bazdgette he was murdered and then a reign of terror was let loose on the people of Ranpur. Raghu, Dibakar were executed and many more got life-terms of sentence. Many of the people were fighting in the ex-State areas like the people of Thuabari village in the district of Puri. A proper history of those struggles has not been maintained. But the fact remains that in those days great struggles were waged by those people who were engaged in what was called the States People's movement in those days. The fights in the States of Dhenkanal, Talcher, Ranpur, Daspalla, Nayagarh and Nilgiri and other regions, the ex-State areas, were heroic and the memories of oppression let loose on the fighters and the people strike horror in the minds of the people of Orissa even to this day. We are grateful to the country, and to the Government, that at last, after many years, the ex-rulers of princely States were divested of their powers and the princes were deprived of their

purses and privileges and thus we have put an end to those evils perpetrated by those ex-Rulers.

Here, I may bring to the notice of the hon. Minister that Prof. Saksena has brought a Bill to which we all agree in its principles, and the hon. Minister has made it very clear that the Government is in no different mind as regards the spirit of this Bill. We all agree with the principles of the Bill. The Government of India, in fact, have gone a little out of the way to help the political sufferers; that is, where the State Governments have not been able to help them, the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, have gone out of the way to help at least from their own funds, whenever the occasion arises and whichever case came to their notice, those political sufferers, freedom-fighters, to relieve them from their abject poverty and suffering. Therefore, there is no different mind on this score, so far as the Government of India and the Congress Party, is concerned.

Now, take the case of the Orissa Government. They are paying only Rs. 30 to Rs. 40 each as pension to the political sufferers who fought for the independence of the country. Again, it so happened that this pension became subject of political discrimination also. That is to say, suddenly, when a different Ministry came—not the Congress Government — the pension of almost a thousand of them was suspended. Even this Rs. 30 as pension was suspended. Therefore, it is better that the Central Government really comes forward with a kind of comprehensive Bill in this matter for providing the freedom-fighters with a suitable amount of pension in the entire country.

We are aware that the Prime Minister has declared that India is going to celebrate the 25th year of its independence next year, and the celebration of the 25th year of independence next year assumes greater importance because India has already become a liberating force in the whole of Asia, in this sub-continent. Therefore,

[Shri Chintamani Panigrah]

I hope that proper consideration which is due to those freedom-fighters, who had laid down their lives to achieve independence, and those who have suffered in many ways for achieving independence so that today a strong and independent India has ultimately risen to this height in 1971, will be given to them at this hour.

I would submit to the hon. Minister that so far as this pension which is given to the ex-prisoners in the cellular jail in the Andamans is concerned,—there are about 20 in Orissa—they should get it. The Government of India issued some advertisement in the newspapers saying that the political sufferers should apply for pension. These freedom-fighters are living in remote villages. We have tried our best to contact some of them, and have pointed out that an advertisement has come and therefore they must apply. If some of them are not able to apply in time in Orissa, I request the Government to give them a little more time.

There are many freedom fighters who had participated in the State People's movements in the ex-State areas and they are in acute financial difficulties. Some of them have not applied; they should be given more time to apply. Are they not entitled to get this pension? In Orissa there are about 10,000 such political freedom fighters and I do plead with the Government that they must come out with some kind of a measure in this House soon. The Government should declare in this House that they would bring forward a comprehensive Bill in the next session. I think the freedom fighters of this country will be greatly obliged. But it is not a question of obligation; it is our duty to the freedom fighters in the country that Parliament in 1971 redeems its pledge to the freedom fighters in the country. With these remarks, I support the Bill.

**SHRI SAMARGUHA (Contai):** It is not only a sad commentary, but also a shameful commentary on the part of the Government and also on the part of all of us that even after 2½ decades we have not been able to discharge our minimum elementary ob-

ligation to the freedom fighters of our country. The edifice of our freedom has been built on the blood of the martyrs. We have not been able, even now, to show what is absolutely required of a dignified nation, a free nation, to show honour to our freedom fighters, to give them a place of glory in the history of our national freedom. Today in the background of the national revolution in Bangla Desh where the fighters for independence have embraced martyrdom, it is more than ever necessary that we lose no time to discharge what I have referred to as the elementary national obligation to our freedom fighters.

I have had a talk with the President of the Bangla Desh Government, the Prime Minister and the Home Minister. You will be pleased to know that even before they got power in their hands, even before they had shifted to Dacca the capital, they have drawn up a list of names of the martyrs and freedom fighters and a plan how to decorate them and look after the families of those who have sacrificed their lives and those who have been incapacitated while participating in the freedom struggle and how they will take care for their future. They have told us that they were going to raise monuments in Chhittagong where Surya Sen, the great leader of the Chittagong Raid Case had laid down his life. They are going to erect monuments in the jails of Bangla Desh for the martyrs of the pre-independent days. Bangla Desh was really Centre of the revolutionary movement in those days; it was from Dacca that revolutionary inspiration radiated all over the country. They are going to honour not only the revolutionaries and freedom fighters and the young brilliant boys of the Mukti Bahini but even the old revolutionaries who were a source of inspiration—Surya Sen, Benoy Bose, Dinesh Gupta, Anil Das, Pratul Waddy, who laid down their lives for the freedom of our country. They are remembering them but it requires us to remind the Government and remind ourselves, after 2½ decades of our freedom that we have to honour our freedom fighters and we have to look after them. How many of

them are living in what pathetic conditions, you may not know. But the old revolutionaries were very dignified. I know that many of them will not beg of you for Rs. 50 or Rs. 100, but it is our sacred duty to save their lives. I know that in Bengal and other States there are old revolutionaries, aged 80 or even 85, with nobody in this world to look after them. Recently a *sadan* has been built near Calcutta for some of them on the basis of private donations, not with Government help. In the last session I raised this question not once, but several times. They have nowhere to go, they have to breathe their last in a free country, for the freedom of which they have given their all, but the nation has not done anything for them, has not got even the feeling that it should look after them. How will they breathe their last in peace?

Recently I have written several letters to Shri K.C. Pant. Many of the revolutionaries in the T.B. hospitals, in a miserable condition, asking for some help from the Government. What is the Government giving? A lump sum allocation of Rs. 250 or Rs. 500, not more than that. What can they do with it? They can do nothing with this meagre help.

You probably know that the Government has given something to the Andaman prisoners, but that also was done after a long effort in this house. Their number is not more than 300. Again, you will remember that a Committee of this House was constituted to go to the Andamans and see how the Andaman Cellular Jail can be preserved, how a monument can be raised there, how we can honour our revolutionaries and martyrs. It was agreed that Netaji Subhas Bose, raised the first flag of Indian freedom, in Andamans. We submitted a report to the Government. Three years have passed, but the Government has not taken any step whatsoever, and we do not even know whether they are contemplating taking any step at all. The Government agreed to give some help to those who had been for five years in the Andamans, but now they have extended it to anybody who had been in the Andamans.

Somebody was saying that the Bill was not well drafted, but in this House in the last two years there were innumerable questions. When I raised the question and said that many of the revolutionaries who were 80 or 85 years old would be no more because the Government was not discharging its obligation towards them, the Prime Minister said that they would not be allowed to die. One year passed, and again I raised the question, and the reply was that it was under the consideration of the Government. How long will it be under the consideration of the Government? Already two and a half decades have passed, and it is shame on all of us who enjoy the benefits of freedom that we have not been able to discharge our duty towards the freedom fighters as a result of whose sacrifice we are enjoying this freedom. It is a national disgrace, I should say, that we have not been able to honour them or look after them.

There are three categories of freedom fighters, those who followed the Gandhian line, those who followed the revolutionary course and those who joined Netaji in the INA movement. You have done nothing for them. The Government has said on some occasions that the State Governments are giving some help to the freedom fighters. Again, I do not know how the Government uttered the word "help", because the help that is given is not more than Rs. 50 and very often much less, and only in a few cases these pensions are given to the freedom fighters. This is the honour that you are showing to the freedom fighters.

This Government dares to say that we are giving help to the freedom-fighters. Every year we are giving so many decorations—Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Bharat Ratna and so on—to so many people but during the last 25 years, the Government did not give any decoration or show honour to any of the freedom-fighters. No monument has been raised anywhere. It should have been the duty of the Government to raise monuments in each metropolis of India—Calcutta, Bombay, Madras and Delhi



[Shri Samai Guha]

—in honour of our martyrs and freedom fighters. It is a very good sign that the whole House unanimously cutting across party barriers, like a patriot or nationalist who feels that we are indebted to our freedom-fighter of Azad Hind Revolution, has expressed the view that we have to discharge our national duty. Today I want a categorical assurance from Government as to what they are going to do, how long more they are going to take to come to a decision in this matter. Let the Government say that they are thinking of doing something and at least let a committee of this House be formed to make suitable recommendations to Government. It is a question of giving not aid but *Vijay Pratnam* to our freedom-fighters to maintain their honour. The Government should categorically say what steps they are going to take and when. Otherwise it will be an act not only of ingratitude but of betrayal of our freedom-fighters on whose blood the edifice of our freedom has been built.

**SHRI B S MURTHY (Amalapuram)**  
Sir, today the nation is being tossed on the waves of jubilation because of the excellent work done by our armed forces in combination with the Mukti Bahini. At a time like this, we should remember what happened in the years gone by and how many young patriot wanted to face any difficulty whatsoever to make India free. I find that Government is willing to concede the principle, adumbrated in the Bill but I do not know why they could not make up their mind even though this Bill has been before them for the last 6 or 7 months. As a matter of fact the freedom fighters are the basic persons who have constructed a new India. Therefore there should be monuments erected everywhere in the country. It may be left to the villagers to construct their own monuments in memory of the freedom-fighters of those villages so that posterity may remember them. But it is the duty of the Government to see that at the State and district level and if possible at the taluk level monuments are erected so that our children may know how our people had fought against the British imperialism to see that the British yoke is removed from India.

perialism to see that the British yoke is removed from India.

12.25 hrs

*MR SPEAKER In the Chair*

These monuments are very essential so that posterity will know the patriotic persons who sacrificed everything and laid down their lives to achieve freedom.

I would not like to say that the Government had not done much. The State Governments have also come forward to help the freedom fighters. But that is a very petty and parsimonious help. Each man has to go and get a certificate from some Congress organisation and approach the Collector or the Tahsildar as the case may be and go there umpteenth times in order to get himself registered as a freedom fighter. The word 'political sufferer' must be removed from the records of Government. The word 'freedom fighter' is a proper word that should be given to those patriotic persons who sacrificed everything and died for winning the freedom of the country.

Another point that I would like to place before the House is this. They say that they want to give political pension. It will be very wrong and derogatory to the spirit exhibited by the revolutionaries to say that we are giving them a pension. It must be an honourarium freely given and gracefully accepted. Both the Central Government and the State Governments must see that before we celebrate Silver Jubilee of our Independence next year a full list of the freedom fighters is drawn up and their names displayed at important places.

Lastly I would like to know whether the Government is accepting this Bill as it is or whether they are going to refer the Bill to a Select Committee or whether they are going to bring forward another Bill incorporating the principles adumbrated in Mr Sakseena's Bill so that there will be no difficulty in future.

One thing I must say that the whole house is behind this Bill. There is no difference of opinion on party affiliations. Most of them have been freedom fighters. There-

fore, the Government should respect the wishes of the House and see that either this Bill is recast or a new Bill is brought before the House so that the obligation of the nation to these martyres is fulfilled

श्री परिपूर्णलाल सैन्धवी • (टिहरी-गढ़वाल)  
प्रध्म महादय मैं श्री शिबल लाल मस्सेना जी के म  
बिल का गमयन करना हूँ और मसूम करता हूँ कि यह  
महान् मान्यिक बिल है। यद्यपि हमसे कुछ दोष ह  
किन्तु मैं समझता हूँ कि हमारी छात्रादी की मित्र  
जबकी 1972 में मनाई जाने वाली है हमारा यह प्रस्ता  
हमारा कि हम बिल का ध्यान में रखकर भारत सरकार  
का ठोस कदम उठाया। मगर निवेदन यह है कि भारत  
सरकार का एक ता फ्रीडम फाइटर्स की हज हूँ हम अर्थात्  
नियंत्रण करनी चाहिये। दूसरा कदम जो उठाया जा रहा  
है वह यह कि फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी जान दी है  
कामी के तहत पर चढ़ है जिन्होंने दूसरे दशों में जाकर  
प्रपनी जाने का है उन लोगों के उन स्थानों पर समारोह  
बनाया जाय। इसके अलावा मारी प्रदक्ष मरकारों का  
घाटन प्रान्त जाने चाहिये

MR SPEAKER You will continue later on The Prime Minister will make a statement now —

12 29 hrs

STATEMENT RE INDIA'S DECISION TO CEASE OPERATIONS FROM 20 00 HRS ON THE 17TH DECEMBER, 1971 ON ALL FRONTS IN THE WESTERN SECTOR

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI)

Mr Speaker, Sir, on March 31, 1971 six days after the great upheaval in Bangla Desh, I had the honour to move a Resolution in this House

I said then that India's permanent interest in peace and our commitment to uphold and defend human rights demanded the immediate cessation of the use of force and of the massacre of defenceless people of Bangla Desh. I had called upon all peoples

and Governments to take urgent and constructive steps to prevail upon the Government of Pakistan to immediately end the systematic decimation of a people I had concluded my statement by expressing the profound conviction of this House that the historic upsurge of the 75 million people of East Bengal would triumph We also gave an assurance that their struggle and sacrifice would receive the whole-hearted sympathy and support of the people of India Today, the pledge we then made together in this House and in the country stands redeemed

It is natural that the people of India should be elated We can also understand the great rejoicing of the people of Bangla Desh I share the elation and the joy But as the Gita say neither joy nor sorrow should tilt the balance of our equanimity or blur our vision of the future

All those who have borne arms all those who have been involved in the planning and direction of the operations, all the people of India who have responded so generously, these are to be thanked and congratulated

It is a victory but a victory not only of arms but of ideas The *Mukti Bahini* could not have fought so daringly but for its passionate urge for freedom and the establishment of a special identity of Bangla Desh Our own forces would not have been so fearless and relentless had they not been convinced of our cause

India has always stood for breadth of vision, tolerance of the points of view of others, of being in the battle yet above it.

We stand for Democracy, for Secularism and for Socialism Only this combination opens the way for full freedom, gives protection to the weaker sections and provides opportunity for the growth of different personalities

We believe that no nation can be built on concepts which are negative or which do not have meaning for all its people Unfortunately, Pakistan has based its policies

[Shrimati Indira Gandhi]  
on hatred for, and confrontation with  
India.

While we re-dedicate ourselves to our ideals, I hope the people of Pakistan will seek a path which is more in keeping with their circumstances and needs. These 24 years, we have heard many aggressive speeches and much abusive and false propaganda against us. We cannot believe that this is the true voice of the Pakistani people. They have been kept in darkness by their successive regimes. We want to assure them that we have no enmity towards them. There are more things in common between us than those which divide us.

We should like to fashion our relations with the people of Pakistan on the basis of friendship and understanding. Let them live as masters in their own house and devote their energies to the removal of poverty and inequalities in their country.

It is this sincere desire which prompted us last evening to instruct our Army, Navy and Air Force to cease operations from 20.00 hours today on all fronts in the west.

I am grateful for the support which all political parties of the country have given during this difficult period and specially to this initiative on behalf of peace.

This offer was communicated to the world community by our Minister of External Affairs, Sardar Swaran Singh in New York. We also had it formally conveyed to the Government of Pakistan through the Swiss Embassy. We hope that the people and the rulers of Pakistan will appreciate and reciprocate this offer.

The consequences which would flow from a failure to do so will rest squarely upon the military rulers of Pakistan. However, regardless of what happens on the western front, let us not be complacent. The coming months specially will bring new and complex problems. We must be very vigilant to safeguard our integrity and our interests and

above all, the fundamental beliefs of our national existence.

श्री ब्रह्म बिहारी बाजपेयी : (खालियर) : मैंने प्रापको नोटिस दिया है कि हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। प्रधान मंत्री का यह कहना ठीक नहीं है कि युद्ध-विराम के एक तरफा आदेश के बारे में सभी दलों का सहयोग प्राप्त है। हम युद्ध-विराम नहीं चाहते, युद्ध का अन्त चाहते हैं और मुझे नहीं लगता कि इस युद्ध से युद्ध का अन्त होगा मैं चाहता हूँ कि प्राप हमको इस पर चर्चा करने का मौका दें जिससे हम अपनी बात स्पष्ट रूप से कह सकें।

MR SPEAKER: We will look into it later.

SHRI A. K. GOPALAN: (Palghat) : Mr. Speaker, Sir, on a point of procedure, we have to say something...

MR SPEAKER: I am not allowing anybody. I am not allowing speeches.

SHRI A. K. GOPALAN : There is a certain procedure. The question is when leaders of groups are called and they decide something, whether when some members of that group does not agree, this procedure must be stopped. Those leaders were present; I was present I understand that the Member of the Jan Sangh, Mr Pitambar Das not only agreed, but he said that before Yahya Khan makes a thing we must do it. On behalf of my party, if I say something, if I am wrong, it must be discussed there. The procedure is not that the party leaders are called and they agree on something and again they take it up in the House. If such a procedure is allowed to stand then there is no use calling the leaders.

श्री ब्रह्म बिहारी बाजपेयी : प्रापका महोदय, प्राप मेरा निवेदन सुनें। मुझे खेद है कि कल मैं यहाँ उपस्थित नहीं था और विरोधी दलों के नेताओं को बैठक में मैं नहीं गया। मगर जो हमारे प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि उन्होंने रिजोल्यूशन एक्सप्रेस किये थे।

MR SPEAKER: This is not the proper time.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): What Mr Bajpayee says is not correct. He

was not present in the meeting, nor was I and so we are on equal footing. We have carefully checked up reports from all the Members who were present and the leaders. Two Members were present on behalf of Mr. Vajpayee's party.—Mr Pitambar Das and Bhai Mahavir ji. Everybody knows that declaration or announcement—the text of it,—was gone through line by line, even certain changes were made by agreement and the whole thing was approved. Nobody objected to it. Mr. Vajpayee cannot come now and say this . . .

MR. SPEAKER: I think propriety demands that . . .

SHRI S.M.BANERJEE (Kanpur): Something wrong in their leadership.

MR. SPEAKER: This should not have been brought. There may be many after-thoughts but this should not be brought here. I am not going to allow it. You can have it later on. I have another programme

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर आप चर्चा का मौका तो दीजिये ।

12.39 hrs.

ANNOUNCEMENT RE. MEETING OF MEMBERS OF PARLIAMENT IN THE CENTRAL HALL TO FELICITATE THE PRIME MINISTER

MR. SPEAKER: I have a very good news that tomorrow at 4 O'clock, all of us, all sections of this House will felicitate the Prime Minister in the Central Hall and it will be my privilege—of course, I am not assuming it myself, but there was a suggestion of others also,—that I shall be presiding over it. Thereafter, because I shall be presiding over it willingly, I will be. At Home also to all the Members. I was thinking of going to my constituency and I hoped by that time I will give the news of ceasefire also. Most of the war was fought in my constituency, Amritsar district, during the last war and this war also. Because I do not speak in the House the Prime

Minister should be very considerate to my constituency.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior): Because of the war, the hon. Prime Minister cancelled the tour of my constituency. Let her visit my constituency.

MR. SPEAKER: I shall have to take him to the border areas so that he may change his views some time. Except a few districts we do need to carry all the Members to the border places so that they may know what a horrible thing it is to go to war.

12.40 hrs.

FREEDOM FIGHTERS (APPRECIATION OF SERVICES) BILL—Contd.

श्री परिपूर्णानन्द पैग्वली : (टिहरी-गढ़वाल) : मैं निवेदन कर रहा था कि चूंकि 1972 में हम आजादी की सिल्वर जूबली मना रहे हैं इसलिये भारत सरकार को चाहिये कि 1972 में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, भारत सरकार कुछ ठोस कदम उठाए। एक मुझाब यह है कि भारत सरकार इन सम्स्त स्वतन्त्रता सेनानियों का हूज हू तैयार करे और उनको प्रकाशित करे।

दूसरा मुझाब यह है कि जैसा कि पाणिग्रही जी ने मुझाब दिया है 1972 में कोई स्मारिका या उनका स्मारक स्थापित करने की दिशा में कदम उठाये जायें। प्रान्तों को भी उसे इस प्रकार की सलाह देनी चाहिये कि वे उन स्थानों पर जहाँ जहाँ स्वतन्त्रता संग्राम के लिए लड़ने वाले सेनानी रहे हैं, स्मारक बनायें।

बहुत से लोग सूफी अम्बा प्रसाद को भूल गये होंगे वह ईरान में मरे थे। शायद मुरादाबाद में रहने वाले लोग भी उनको भूल गये होंगे। इसी प्रकार से भोपाल निवासी डा० बरकतुल्ला खान फामिस्को में मरे। उसी प्रकार से पेशावर के शेर अली की 1872 में लाई मयों का गोली मारने के अभियोग में फांसी दी गई थी। जलियांवाला बांड के माइको घोड़ाघर से बदला लेने के लिये ऊधम सिंह उर्फ राम मुहम्मद सिंह को लंदन में फांसी दी गई थी। राम बिहारी ब्राम ने लाई हार्डिंग पर 1912 में बम फेंका था और वही आई०एन०ए० के संस्थापकों में से थे। उनकी जापान में मृत्यु हुई।

[श्री परिपूर्णानन्द पेंसुली]

टिहरी जेल में श्री देव सुमन ने 84 दिन का धनवान किया था और उनका स्वर्गवास वहां हुआ था। वहां के राजा को पिबीपर्स दिया गया लेकिन उनकी जेल में मरने वाले श्री सुमन के परिवार की ओर ध्यान आलापित है, वह शायद किसी को ज्ञान नहीं है। मैडम कामा, कुदी राम बोस आदि कई और सेनानी हैं जिनके स्मारक बनाने की आवश्यकता है। उनकी स्मृति को चिर स्थायी बनाने के लिए यह चीज होनी चाहिये। उनके धनवा... ..

12.42 hrs.

ANNOUNCEMENT RE. SITTING OF THE HOUSE ON SATURDAY, DECEMBER 18, 1971.

MR. SPEAKER: Tomorrow, most of us are here. What if we sit tomorrow for two or three hours? If we sit for a few hours tomorrow also, we can have more time for discussion.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. SPEAKER: So I must say in advance that we shall be meeting tomorrow. What time shall we meet?

SHRI R. V. SWAMINATHAN (Madurai): We can meet between 2 and 4 p.m.

MR. SPEAKER: So, we shall be sitting tomorrow to avail of the time from 2 p.m. to 4 p.m.

As for the business, the hon Minister has already announced the business, and the Order Paper will be circulated.

12.43 hrs.

FREEDOM FIGHTERS (APPRECIATION OF SERVICES) BILL—Contd.

श्री परिपूर्णानन्द पेंसुली (टिहरी-मड़वाल) : एक और सुझाव मैं देना चाहता हूँ। स्वतन्त्रता सेनानियों की ओर हम न केवल धादर प्राय विचार्य, उचित एलाउंस उनको दे शास्त्र जितने भी हमारे नेशनल कैस्टिबल होते हैं जैसे 15 घण्टा, 26 जनवरी आदि इन घण्टाओं पर बिना स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर

पर विशेष प्रतिष्ठि भी उनको हम बनायें, की धाई पीछ की तरह हम उनको धार्मिक करें और वह ट्रेटमेंट उनको द।

उनके जो धार्मिक हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, वे बहुत बुरी दशा में हैं। उनको नाममात्र की पेंशन प्रांतीय सरकारें देती हैं। वे भी कभी कभी देती हैं। और कभी कभी नहीं देती हैं। बार छः महीने या साल दो साल बाद नहीं देती हैं। उनको उचित मात्रा में और रेग्युलरी और समय पर पेंशन मिलती रहनी चाहिये।

मैडिकल पेंसिलिटोज भी उनको मिलनी चाहिये। बच्चों की शिक्षा की सुविधा होनी चाहिये। उनको वही सुविधाएँ मिलनी चाहिये जो कि विधायकों को प्रत्येक समय सदस्यों को प्राप्त है। ये बहुत छोटी बातें हैं और बहुत कम धनराशि की इनके लिए आवश्यकता है। किन्तु ऐसा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव व्यक्त कर सकेंगे।

हम मिल्बर जुबली मनायेंगे तो यह सब स्वतन्त्रता सेनानियों, उनकी सेवाओं, उनके त्याग और तपस्या के प्रति हमारी कृतज्ञता का सूचक होगा।

इन शब्दों के साथ मैं बिल का समर्थन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि यदि सरकार कोई दूसरा बिल प्रगले सत्र में प्रस्तुत करने वाली है तो मेरी भी निम्नन साल सक्सेना से प्रार्थना होगी कि वह अपने बिल का बापिन ले लें।

श्री रामसहाय पांडे (राजनगढ़) : इस विधेयक का मैं बड़े धादर के साथ समर्थन करता हूँ।

श्री हंसि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : आप भी फीडम फाइटर रहे हैं। आप धासन ग्रहण करे रहें।

धधयक नहीबयः मैं इतनी बेर बैठा रहा हूँ। मैं रहा हूँ, इसीलिए मैंने पहले समय इसके लिए बढ़ाया है।

12.46 hrs.

[SHRI N.K.P. SALVE in the Chair]

श्री राम सहाय पांडे : जब हम गहरी का, सत्याग्रहियों का, जेल यातियों का जिन्होंने लाठियाँ खाई, गोखिवाँ खाई, पांछों की टाप से रीद पय, उनका स्मरण करते हैं, उनके प्रति धादर भाव और श्रद्धा का भाव प्रदर्शित करते हैं तो बहुत महत्व इस बात का नहीं होता

है कि उनको कितना पैसा दिया जाय। यद्यपि पैसा देना भी बड़ा आवश्यक है लेकिन इसको हम सबको अपने हृदय पर हाथ रख कर देखना होगा कि हमने उनके लिए क्या किया है। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य राति को हम आजाद हुए थे और तब कंस्टिटुइंट असेम्बली बैठी थी लेकिन उसके पहले वह टोली शहीदों की जो जेल गई थी, जिन्होंने जेल यात्रा की थी, लाठियां, गोलियां आदि खाई थी, संकटों में पड़े थे, क्या उनको हम भूल जायेंगे? नहीं भूल सकते हैं। हम उनके प्रति श्रद्धाञ्जित होते हैं, अनुगृहीत होने के भाव प्रकट करते हैं तो उस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिये कि एक स्मारक राष्ट्र प्रेमियों का जिन्होंने आहुति दी है, शहीद हुए, जो मारे गए, फांसी के तख्ते पर हंसेते हंसेते झूल गए, बनाया जाए, उनकी कोई चित्रावली, कोई ग्रन्थ प्रकाशित किया जाए ताकि आने वाली संततियां उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सकें। यह भी हमने किया। एक शहीद का नाम लेकर मैं दूसरे शहीद का अनादर करूंगा। इस वास्ते मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिए, बापू के आवाहन पर, तिलक के आवाहन पर देश के हजारों लोग घरों के बाहर निकल आए थे यह गीत गाते हुए, मिर बांध कफन चली शहीदों की टोलियां। किसी कवि ने यह भी कहा, “शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वरम मेले, वन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा।” मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या कहीं ऐसे मेले लगते हैं। श्री बाजपेयी ने श्री मिलेक्ट कमेटी बनाने की बात कही है। पता नहीं, मंत्री महोदय उसको स्वीकार करेंगे या नहीं। अगर कुछ पैसा देने की बात कही जाती है तो कहा जाता कि वित्त मंत्री से पूछेंगे। शहीदों के सम्मान के नाम पर जो कुछ भी हम चाहते हैं, वह उनके पाम नहीं है, वह कुछ नहीं दे सकते हैं। उनकी कोशिश है कि यह बिल इस सदन में परास्त हो जाये, या लेप्स हो जाये। श्री शिव्वनलाल मक्सेना, जिन्होंने यह विधेयक सदन के सामने रखा है, एक बहुत पुराने फ्रीडम फाइटर हैं। वह अपने लिये कुछ नहीं चाहते हैं। डा० गोकुलदास ने भी, जो राष्ट्र के श्रेष्ठ हैं, अपनी भावनायें व्यक्त की हैं। इन विचारों की पृष्ठभूमि में भावना और श्रद्धा है, जिससे प्रेरित होकर स्वयं ही कुछ करने और देने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। इन लोगों को कुछ पैसा देने और उनके निवास और वस्त्रों की। शशा आदि के प्रश्न सामने आने हैं।

लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम उनको सम्मान देने

हैं। न जाने हमारे देश में कितने शहिदों की विधवायें, बहनें और छोटे छोटे बच्चे होंगे। क्या कभी कोई यह खोज की गई है कि वे लोग आज किस स्थिति में रह रहे हैं, किम टूटी-फूटी झोपड़ी में रह रहे हैं, उसमें चिरगा जल रहा है या गुल है, उनको भोजन मिलता है या नहीं?

इस सम्बन्ध में प्रयुक्त शब्द “महायता” एक बड़ा घिसा-पिटा शब्द है। आखिर सहायता, मदद, क्या होती है? अगर शहीदों के संदर्भ में डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द हो, तो उसको निकाल देना चाहिए। यह तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके पाम जायें, उनको प्रणाम करें और हाथ जोड़कर पूछें कि हम उनकी क्या सेवा कर सकते हैं, बजाये इसके कि वे आकर यह आवेदन पत्र दें कि हम उस परिवार से सम्बन्धित हैं, जिसके सदस्य जेल में गये थे, फांसी पर चढ़े थे या घोटों की टापों के शिकार हुए थे।

हम लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र के माध्यम से राष्ट्र को ऊपर उठाना चाहते हैं। इसलिए हमको अपने शहीदों को नहीं भूलना चाहिये, क्योंकि वे हमारे लिये प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके त्याग, बलिदान और कुर्बानी की नींव पर इस सर्वभौम मत्ता का निर्माण हुआ है, जिसकी छत्रछाया में हम सब लोग बैठे हुए हैं। अगर बापू का आह्वान न होता, अगर तिलक का यह ज्ञान न होता कि “स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है”, अगर ये शहीद न होने, अगर हमारे स्वतन्त्रता-सेनानी जेल में न जाते मर्यादग्रह न करने, फांसी पर न चढ़ने, द्रान्ति के माध्यम से आजादी की अलख न जगते तो आज हमारा देश इस स्थिति में न होता। लेकिन आज हम उन लोगों को भूल गये हैं। लेकिन उनको भूल जाना उचित नहीं है।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह सरकार के किसी वरिष्ठ नेता, या प्रधान मंत्री, से पूछ लें कि क्या सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई विधेयक आने वाला है। तब श्री शिव्वन लाल मक्सेना से यह प्रार्थना की जा सकती है कि वह अपना विधेयक वापिस लें। मुझे चिन्ता इस बात की है कि अगर वह बिल इस सदन में पराजित हो गया, पाम नहीं हुआ, तो यह बड़े दुःख और कलंक की बात होगी और यह इस सदन की मर्यादा, गरिमा के विरुद्ध होगा कि शहीदों को कुछ महायता-महायता नहीं, महयोग-देने के लिए, उनके सामने कुछ पत्र पृष्ठां अर्पित करने के लिए माननीय सदस्य जो कि विधेयक लाये, वह पाम नहीं हो सका।

[श्री राम महाय पाण्डे]

शहीदों के नाम पर मानुमेंट या स्मारक बनाने की बात ठीक है। लेकिन उनके मानुमेंट और स्मारक हैं उनके छोटे छोटे बच्चे और उनकी अकिंचन स्थिति। अगर उनसे हमको कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं हुई, कोई श्रद्धा और करुणा की भावना पैदा नहीं हुई, तो फिर मानुमेंट देखकर हम क्या करेंगे? आज उनके जीवन वृक्ष-वृक्ष और थके-थके हैं। जिन लोगों ने देश के लिए, मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान किया है, अपनी गुरुतन और सनातन परम्परा के अनुसार हमें उनके पास जाना चाहिए और आदर से पूछना चाहिये कि हम उनकी क्या सेवा कर सकते हैं।

उन लोगों के जीवन, विचारों और कृत्यों, उनके त्याग और नपस्य और देश को स्वतन्त्रता दिलाने में उनके योगदान और प्रेरणा का वर्णन करने के लिए ग्रन्थ, संग्रह और चित्रावली तैयार की जानी चाहिये। महायत्ना की बात छोड़ दीजिए, उनको महयोग देना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से उनकी देखभाल होना चाहिए। वे लोग मातृभूमि के लिए शहीद हुए थे, लेकिन आज हम संसद-मदस्य या मंत्री बन कर उनको भूल गये हैं। हम लोग गणतंत्र के दायित्व के निर्वाह में लगे हुए हैं, लेकिन जिन लोगों की वदीलत हम गणतंत्र का जन्म हुआ है, उनको हम भूल गये हैं, यह कलंक और लांछन हम लोगों पर नहीं लगना चाहिए।

अगर मंत्री महोदय कोई विधेयक लाने या व्यवस्था करने का आश्वामन दें, तो माननीय मदस्य को अपना विधेयक वापस लेने की प्रार्थना की जा सकती है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस संबंध में आश्वामन दें, ताकि इस सदन को संतोष हो सके और हम सही मायनों में अपने शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें।

MR. CHAIRMAN: We have only two minutes left. Do you want to make some statement?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): I wanted to clarify only one point.

MR. CHAIRMAN: After your clarification I shall call Mr. Mirdha.

SHRI F. H. MOHSIN: I wanted to clarify one point made by Mr. Pandey. We agree that we have got to do something in the case of freedom fighters; there is no doubt about it. Government have already decided to do something for freedom fighters. It need not necessarily be in the form of a Bill....(Interruptions). It may be in the form of a scheme. It is under the consideration of the Government. Since many persons are making this point, I wanted to clarify that the matter is under the consideration of the Government.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD (Bhagalpur): We have long heard these platitudes. There is no concrete scheme before the Government and we want a concrete scheme.

SHRI R.V. SWAMINATHAN (Madurai): Let the Minister take the whole day. Let him consult the Cabinet Ministers and come out with definite proposals tomorrow.

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister has briefly stated what he had to say in the matter. The sentiments of the House have already been expressed. The House will now adjourn to reassemble at 2 p.m. tomorrow.

13.00 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock on Saturday, December 18, 1971! Agrahayana 27, 1893 (Saka)*